[2019] 15 एस. सी. आर. 712

रावी एस/ओ अशोक गुमारे

वी.

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील सं। 1488-1489 2018 का)

अक्टूबर 03,2019

[आर. एफ. नरीमन, सूर्या कान्ट और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 302 , 363 , 376 और 377-अपहरण,

बलात्कार/अप्राकृतिक संभोग और दो साल की बच्ची की हत्या

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन, पीड़ित बच्चा शाम लगभग 4 बजे लापता हो गया-पुलिस और लापता बच्चे के परिवार के सदस्यों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान, यह सामने आया कि

उसे दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई-उसके खिलाफ अपील दोषसिद्धि और सजा-आयोजितः यह निर्णायक रूप से स्थापित था।

कि पीड़ित बच्चे पर बेरहमी से हमला किया गया और योनि और अप्राकृतिक संभोग किया गया-उसे कई चोटें लगीं

चेहरा, सिर, गर्दन, बाहरी जननांग के साथ-साथ गर्भाशय और मूत्रमार्ग के अंदर-चिकित्सा की राय थी कि मृत्यु गला घोंटने के कारण हुई थी।

निर्णायक रूप से साबित किया कि यह अपीलार्थी था और केवल वह, जो

भयानक अपराध किया-अपीलार्थी के पास विशेष था किन परिस्थितियों में पीड़ित बच्चे को कई चोटें आईं-यह साबित करने के लिए कि वे चोटें नहीं थीं

उसके कारण एस की दृष्टि में अकेले अपीलार्थी पर था। 106 साक्ष्य अधिनियम, जिसे वह निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा, हालांकि

अभिलेख पर साक्ष्य संदेह से परे साबित हुआ कि पीड़ित बच्चा शाम लगभग 4 बजे से अपीलार्थी की गैरकानूनी अभिरक्षा में था जब तक कि उसने उस पर पशु हमले के कारण अपनी अंतिम सांस नहीं ली।

अपीलार्थी की दोषसिद्धि बरकरार है-बच्चों का संरक्षण

यौन अपराध अधिनियम, 2012-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019।

712 रावी एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

सजा/सजाः मौत की सजा-दो साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या-मौत की सजा को कम करने की प्रार्थना

आयोजित किया गयाः इस मामले में पीड़ित मुश्किल से दो साल की बच्ची थी

जिनका अपीलार्थी ने अपहरण कर लिया और जाहिरा तौर पर 4-5 घंटे से अधिक समय तक हमला करता रहा जब तक कि उसने अपने अंतिम अपीलार्थी को सांस नहीं दी जिसके पास कोई नहीं था।

अपनी शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण अपनी यौन भूख को तृप्त करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार कर गया-उसने बेरहमी से एक जीवन समाप्त कर दिया जो अभी तक खिलना बाकी था-उसने, पिता जैसा दिखाने के बजाय।

समाज की बुराइयों के खिलाफ बच्चे के लिए प्यार, स्नेह और सुरक्षा, बल्कि उसे वासना का शिकार बना दिया-यह एक ऐसा मामला है जहां विश्वास को धोखा दिया गया था और सामाजिक मूल्यों को बाधित किया गया था-दो साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध एक गंदे और विकृत दिमाग को प्रदर्शित करता है, जो क्रूरता की एक भयानक कहानी को प्रदर्शित करता है।

एक दरवाजे को बंद करके अपने नापाक मंसूबों को सावधानीपूर्वक अंजाम दिया।

अपने घर को बाहर से बंद कर दिया और दूसरे को अंदर से बंद कर दिया ताकि लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया जा सके कि कोई भी अंदर नहीं है, इस तरह वह पूरी तरह से होश में था, जबकि वह इस मूर्खतापूर्ण कृत्य में लिप्त था-उसने इस घोर अपराध के लिए कोई पछतावा या पश्चाताप नहीं दिखाया।

इसके बजाय उन्होंने अपने 313 Cr.P.C बयान में चुप रहने का विकल्प चुना-'झूठे' आरोप के मानक बचाव के साथ उनकी जानबूझकर, अच्छी तरह से तैयार की गई खामोशी से उनकी दया या करुणा की कमी का पता चलता है और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि उन्हें कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता है-ऐसा होने पर, मौत की सजा में हस्तक्षेप का मामला नहीं बनाया जाता है-यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012-दंड संहिता, 1860-ss। 302 , 363 , 376 और 377।

आपराधिक कानूनः साक्ष्य-प्रेरक-यद्यपि उच्च न्यायालय

यह मत व्यक्त किया गया कि 'वासना की संतुष्टि' और 'निशान हटाना' अपीलार्थी का उद्देश्य था, लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत उद्देश्य एक स्पष्ट आवश्यकता नहीं है, हालांकि 'उद्देश्य' परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने में सहायक हो सकता है। हाथ में मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं था क्योंकि विश्वसनीय चश्मदीद गवाह के बयान थे जिन्होंने अपीलार्थी को अपराध करते देखा था, जो आंशिक रूप से हो सकता है-ऐसा उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के तहत एक स्पष्ट आवश्यकता नहीं है।

डी. एन. ए. परीक्षण के गहन समर्थन के साथ अटूट साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी।

वीभत्स अपराध के पीछे अपीलार्थी के उद्देश्य का निश्चित निर्धारण।

सजा/सजाः मृत्युदंड-आनुपातिकता का सिद्धांत-मात्रा निर्धारित करने का उद्देश्य और उद्देश्य

सजा का प्रावधान [2019] 15 एस. सी. आर. से प्रभावित हुए बिना 'समाज केंद्रित' होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायाधीश के अपने विचार, क्योंकि आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में समाज सबसे बड़ा हितधारक है-एक नागरिक समाज को समाज विरोधी तत्वों के हाथों किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक भय, खतरे, खतरे या असुरक्षा से मुक्त रहने का मौलिक और 'मानव' अधिकार है।

आनुपातिकता का सिद्धांत और उपयुक्त और निवारक लागू करना

दण्ड जो अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012: 5 यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम,

2019 - संवर्धित भेदक यौन हमला-सजा-असंशोधित अधिनियम एस में "संवर्धित भेदक यौन हमले" को परिभाषित करता है। 5 , जिसमें शामिल था, "जो कोई भी 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर गंभीर यौन हमला करता है"-मूल रूप से, गंभीर यौन हमले के लिए सजा कठोर थी।

कम से कम 10 साल की अवधि के लिए कारावास लेकिन जो जुर्माने के साथ आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है-एक गंभीर भेदक यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है और आजीवन कारावास को अब स्पष्ट रूप से व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास कहा गया है।

परिस्थितियों के सिद्धांत और लोगों की इच्छा को दोहराते हुए कि पीड़ित की हत्या किए बिना 12 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ क्रूर बलात्कार के मामलों में 'मृत्युदंड' भी लगाया जा सकता है-संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, संसद ने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि "हाल ही में बाल यौन शोषण के मामलों की घटनाओं में अभियुक्तों की अमानवीय मानसिकता, जो युवा पीड़ित के प्रति अपने दृष्टिकोण में बर्बर रहे हैं, देश में बढ़ रही है"-यदि संसद ने पर्याप्त तथ्यों और आंकड़ों के साथ, एक बच्चे के यौन शोषण के अपराध के लिए मृत्युदंड देने का फैसला किया है, तो अदालत अब तक नवीनतम विधायी नीति को ध्यान में रखेगी, भले ही यह उस मामले में लागू नहीं होता है जहां अपराध उससे पहले किया गया था-इसलिए हाल के संशोधन के लागू होने से पहले दिए गए न्यायिक उदाहरणों को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ देखा जाना चाहिए ताकि विधायी और न्यायिक दृष्टिकोण अपनाए जा सकें।

अच्छी तरह से सामंजस्यपूर्ण हैं-बच्चों के खिलाफ अपराध सजा /

सजा सुनाना।

रावी एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

आपराधिक न्याय का प्रशासनः बलात्कार के अभियुक्त को सजा-सजा नीति को दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

दोनों पक्ष और (i) निवारक प्रभाव, या (ii) नागरिक समाज में अपराधी के एकीकरण के लिए पूर्ण सुधार के दोहरे परीक्षण पर भरोसा करते हैं-जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपराधी में सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो सभी चीजों से पहले दंड अपराध की प्रकृति के अनुकूल और निवारक होना चाहिए, जिसका स्पष्ट उद्देश्य बुराई करने वालों के लिए एक उदाहरण बनाना और उन लोगों को चेतावनी देना है जो अभी भी निर्दोष हैं-सजा/सजा।

प्रमाणः चिकित्सा साक्ष्य-डी. एन. ए. डी. एन. ए.-अपीलार्थी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि अभियोजन पक्ष ने डी. एन. ए. साक्ष्य पर भरोसा किया

डी. एन. ए. विश्लेषण की वाई-एस. टी. आर. तकनीकों का नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अपराधी की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। यौन हमला और अनसुलझे मामलों में संदिग्धों की पहचान करने के लिए एक विधि के रूप में भी चिकित्सा न्यायशास्त्र।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सजा/सजाः मृत्युदंड-परिस्थितियों को बढ़ाना और कम करना-बलात्कार और हत्या

दो साल की बच्ची-आयोजितः (प्रति आर. सुभाष रेड्डी, जे. -

सजा के हिस्से पर असहमति)-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, आम तौर पर मृत्युदंड की चरम सजा नहीं दी जानी चाहिए-यदि किसी मामले में, परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करके आरोपी का अपराध उचित संदेह से परे साबित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है, तो उचित मामलों में मृत्युदंड केवल उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों के पहलुओं को संतुलित करने पर विचार करने के बाद ही लगाया जा सकता है-लेकिन,

उसी समय आम तौर पर, यदि कोई विशेष कारण मौजूद नहीं है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, मृत्युदंड नहीं लगाया जाना चाहिए-तत्काल मामले में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी-अभिलेख पर साक्ष्य से पता चला कि घटना के दिन, अपीलार्थी था

शराब के प्रभाव में आकर अपराध किया और,

उत्तेजक और शमनकारी कारकों को संतुलित करते हुए शमन करने वाले कारकों में से एक के रूप में माना जाता है-अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं थी। अपीलार्थी संबंधित समय पर 25 वर्ष का था-उसका कोई अपराध रिकॉर्ड भी नहीं था इस प्रकार, अपीलार्थी की कम करने वाली परिस्थितियाँ,

गंभीर परिस्थितियों पर हावी, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में संशोधित करने के लिए-इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी पर लगाए गए मृत्युदंड को एस के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास में संशोधित किया जाता है। 302 आई. पी. सी.-दंड संहिता, 1860

- s.302।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः पर सूर्या कान्ट, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और

1. पुलिस और लापता बच्चे के परिवार के सदस्यों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान, यह सामने आया कि अपीलार्थी पास के बच्चों को लुभाने के लिए चॉकलेट वितरित कर रहा था

उस दिन और उस समय के आसपास मारोती मंदिर में बच्चा रवि एस/ओ अशोक घूमरे बनाम गया था।

महाराष्ट्र राज्य

गायब है। पुलिस-टीम, पीड़ित के पिता और उसका

भाई, जो वास्तव में आशंकित था और कुछ बदबू आ रही थी, अपीलार्थी के घर पहुँचा और उसे नग्न अवस्था में पीड़ित के साथ बिस्तर के नीचे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह निर्णायक रूप से स्थापित हो गया कि मृतक को बेरहमी से मारा गया था।

हमला किया और योनि और अप्राकृतिक संभोग के अधीन किया। पीड़ित के चेहरे, सिर पर कई चोटें आई थीं।

परिस्थितियों में पीड़ित बच्चे को उन कई चोटों का सामना करना पड़ा। साक्ष्य की धारा 106 को देखते हुए यह साबित करने का भार कि वे चोटें उसके कारण नहीं हुई थीं, केवल अपीलार्थी पर था।

अधिनियम, जिसे वह निर्वहन करने में बुरी तरह विफल रहा है, हालांकि अभिलेख पर साक्ष्य संदेह से परे साबित करते हैं कि पीड़ित बच्चा शाम लगभग 4 बजे से अपीलार्थी की गैरकानूनी हिरासत में था, जब तक कि उसने उस पर पशु हमले के कारण अपनी अंतिम सांस नहीं ली। [पैरा 30] [738-सी-जी]

अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने वाले वैज्ञानिक प्रमाणः

2.1 P.W.11 फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल), मुंबई में सहायक निदेशक ने गवाही दी कि उन्होंने गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के फोरेंसिक विज्ञान निदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डीएनए परीक्षण। P.W.11

तदनुसार डी. एन. ए. रिपोर्ट तैयार की गई जिसे सहायक रासायनिक विश्लेषक द्वारा भी विधिवत सत्यापित किया गया। उसकी रिपोर्ट की सामग्री को देखने पर, P.W.11 ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ यौन संबंध और अप्राकृतिक संभोग किया गया था। अपीलार्थी पर सभी पक्षों से आरोप लगाने वाले अटूट वैज्ञानिक साक्ष्य पर इस आधार पर महाभियोग चलाने की मांग की गई कि तत्काल मामले में डी. एन. ए. विश्लेषण "वाई-एस. टी. आर". की विधि अविश्वसनीय थी। यह सुझाव दिया गया था कि उक्त विधि अभियुक्त की सटीक पहचान नहीं करती है

अपराधी; और अन्य तरीकों के विपरीत ऑटोसोमल-एसटीआर विश्लेषण कहते हैं, यह पुरुष सदस्यों के बीच अंतर नहीं कर सकता है

एक ही वंश। [पारस 32-34] [739-D; 740-H; 741-A-B]

2.2 विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त चिकित्सा साहित्य के साथ-साथ P.W.11-सहायक निदेशक, एफ. एस. एल. ने इस्तीफा दे दिया

कुछ भी विवादास्पद नहीं है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में, पीड़ित और अपराधी का डीएनए अक्सर मिश्रित होता है।

ऐसे मामलों में "ऑटोसोमल-एसटीआर" जैसी विश्लेषण तकनीकें संभव नहीं हैं। वाई-एसटीआर विधि केवल पुरुषों में पाए जाने वाले वाई-गुणसूत्र की तुलना करके केवल पुरुष डीएनए को अलग करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। यह अब वैज्ञानिक बहस का विषय नहीं है कि वाई-एसटीआर जांच यौन उत्पीड़न के मामलों में पुष्टि के लिए स्पष्ट रूप से उपयोगी है और इसका उपयोग उत्तेजक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है और दुनिया भर के विभिन्न न्यायालयों में व्यापक रूप से इस पर भरोसा किया जाता है। विज्ञान और शोध ने

यह दृढ़ता से स्थापित किया गया है कि इस विधि से नमूनों में 'लोसी' के क्षरण की संभावना कम होती है और यह डी. एन. ए. विश्लेषण के अन्य पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। यद्यपि वाई-एसटीआर एक ही वंश के पुरुषों के बीच अंतर नहीं करता है, फिर भी, इसका उपयोग एक मजबूत वंशावली के रूप में किया जा सकता है।

अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य। डी. एन. ए. विश्लेषण की वाई-एस. टी. आर. तकनीकों का नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्राधिकारों में यौन हमले के मामलों में अपराधी की पहचान के लिए और अनसुलझे मामलों में संदिग्धों की पहचान करने के लिए एक विधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नमूनों के सही मिलान को ध्यान में रखते हुए और डीएनए विश्लेषण प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है,

फोरेंसिक रिपोर्ट के संभावित मूल्य के साथ-साथ P.W.11 का विवरण बहुत अधिक है। इसके अलावा, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि अपराध उसके किसी अन्य करीबी रिश्तेदार द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी के अलावा घर में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं पाया गया। इस प्रकार अभिलेख पर भारी प्रत्यक्षदर्शी विवरण, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य और डी. एन. ए. विश्लेषण था जिसने निर्णायक रूप से साबित किया कि यह अपीलार्थी है और केवल वही है, जो अपराध करने का दोषी है। इस मामले में भयानक अपराध। [पारस 35,36] [741-सी-जी; 742-ए बी]

3. यद्यपि उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'वासना की संतुष्टि' और 'निशान हटाना' अपीलार्थी का उद्देश्य था, लेकिन उद्देश्य भारतीय दंड संहिता के तहत एक स्पष्ट आवश्यकता नहीं है।

संहिता, यद्यपि 'उद्देश्य' परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने में सहायक हो सकता है। हाथ में मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि जिन विश्वसनीय चश्मदीद गवाहों ने अपीलार्थी को अपराध करते देखा है, वे आंशिक रूप से हो सकते हैं। डी. एन. ए. परीक्षण के गहन समर्थन के साथ इस तरह के अटूट साक्ष्य के लिए वीभत्स अपराध के पीछे अपीलार्थी के उद्देश्य के निश्चित निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

[पैरा 37] [742-सी-ई] रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य

भेजनाः

4.1 मात्रा निर्धारित करने का उद्देश्य और उद्देश्य

सजा 'न्यायाधीश' के अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना 'समाज केंद्रित' होनी चाहिए, क्योंकि समाज आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सबसे बड़ा हितधारक है। एक नागरिक समाज है

किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक भय, खतरे या असुरक्षा से मुक्त रहने का 'मौलिक' और 'मानव' अधिकार

प्रक्रिया और एक मूक के रूप में अदालत के बाहर बैठने के लिए बनाया गया था दर्शक। रोकने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का लोकाचार

और 'अपराध' को दंडित करने से गुप्त रूप से ऐसे अपराध के 'पीड़ित' से मुंह मोड़ लिया जाएगा, जिसकी आवाज़ सदियों से अनसुनी थी।

पारंपरिक उपकरण के लंबे गलियारों में। मुकदमे में भाग लेने सहित कुछ सीमित अधिकार अब दिए गए हैं। 2009 के अधिनियम संख्या 5 द्वारा भारत में एक 'पीड़ित' को प्रदान किया गया है जिसके तहत Cr.P.C में कुछ व्यावहारिक परिवर्तन किए गए हैं। द.

इसलिए सजा नीति को दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

दोनों पक्ष और (i) निवारक प्रभाव, या (ii) अपराध में अपराधी के एकीकरण के लिए पूर्ण सुधार के दोहरे परीक्षण पर भरोसा करते हैं। समाज। जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपराधी में सुधार की कोई संभावना नहीं है, वहाँ सभी बातों से पहले दंड,

अपराध की प्रकृति और निवारक के साथ उपयुक्त होना चाहिए

स्पष्ट उद्देश्य बुराई करने वालों में से एक उदाहरण बनाना और उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो अभी भी निर्दोष हैं। इस बात का कोई खंडन नहीं है कि सजा सामाजिक नैतिकता का प्रतिबिंब है। द. मृत्युदंड का निर्वाह यह साबित करता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें समाज इतना अनिवार्य रूप से नापसंद करता है कि वे न्यायसंगत ठहराते हैं

सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को लेना-जीवन का अधिकार। [पारस 50-52] [748-डी-एच; 749-ए-बी] [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अशोक देबबर्मा बनाम। त्रिपुरा राज्य (2014) 4 एससीसी 747: [2014] 4 एस. सी. आर. 287; वसंत संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2017) 6 एससीसी 631: [2017] 3 एससीआर 850-विशिष्ट

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 जैसा कि 6 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया था। असंशोधित अधिनियम "आक्रामक भेदक यौन संबंध" को परिभाषित करता है।

धारा 5 में हमला, जिसमें शामिल है, जो कोई भी उम्र से कम उम्र के बच्चे पर गंभीर भेदक यौन हमला करता है। 12 साल का "। मूल रूप से, एक गंभीर यौन हमले के लिए सजा 10 साल से कम की अवधि के लिए कठोर कारावास थी, लेकिन जो जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है। गंभीर यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है और

आजीवन कारावास को अब स्पष्ट रूप से कहा गया है

व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास। उल्लेखनीय है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर गंभीर भेदक यौन हमले के अपराध के लिए दंड के रूप में 'मौत की सजा' भी पेश की गई है। [पारस 57,59] [752-बी-सी-एफ-जी]

खुशविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2019) 4 एस. सी. सी. 415 [2019] 3 एस. सी. आर. 446; मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैराइटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 951

4.3 विधायिका ने "कोई परिस्थिति नहीं" सिद्धांत में "नहीं-मौत की सजा" के प्रस्तावकों से खुद को दूर कर लिया है और लोगों की इच्छा को फिर से कहा है कि 12 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ क्रूर बलात्कार के मामलों में 'मौत की सजा' भी दी जा सकती है। संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में, संसद ने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि "हाल के दिनों में बाल यौन शोषण के मामलों की घटनाओं में अभियुक्तों की अमानवीय मानसिकता, जो युवा पीड़ितों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बर्बर रहे हैं, देश में बढ़ रही है।" यदि पर्याप्त तथ्यों और आंकड़ों से लैस संसद ने किसी बच्चे के यौन शोषण के अपराध के लिए मृत्युदंड देने का फैसला किया है, तो न्यायालय अब तक की नवीनतम विधायी नीति को भी ध्यान में रखेगा, यहां तक कि रवि एस/ओ अशोक गुमारे बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

हालाँकि यह उस मामले में लागू नहीं होता है जहाँ अपराध उससे पहले किया गया था। इसलिए, हाल के संशोधन के लागू होने से पहले दिए गए न्यायिक उदाहरणों को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ देखा जाना चाहिए ताकि विधायी और न्यायिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से सामंजस्यपूर्ण हों। [पैरा 60] [752-जीएच; 753-ए-बी]

4.4 पीड़ित बमुश्किल दो साल का बच्चा था जिसे अपीलार्थी ने अपहरण कर लिया था और जाहिर तौर पर 4-5 से अधिक लोगों पर हमला करता रहा।

जब तक उसने अपनी अंतिम सांस नहीं ली। अपीलार्थी जिसका कोई नियंत्रण नहीं था

उसकी शारीरिक इच्छाओं ने उसकी यौन भूख को तृप्त करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार कर लिया। उन्होंने बेरहमी से एक ऐसा जीवन समाप्त कर दिया जो अभी तक खिलना बाकी था। अपीलार्थी को दिखाने के बजाय पिता का प्यार, स्नेह और बच्चे के लिए सुरक्षा

समाज की बुराइयों ने उसे वासना का शिकार बना दिया। यह एक ऐसा मामला है जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को बाधित किया गया है। दो साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध एक गंदे और विकृत दिमाग को प्रदर्शित करता है, जो क्रूरता की एक भयानक कहानी को प्रदर्शित करता है। अपीलार्थी ने ताला लगाकर अपने नापाक मंसूबों को सावधानीपूर्वक अंजाम दिया

उसके घर का एक दरवाजा बाहर से और दूसरा अंदर से बंद कर दिया ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि अंदर कोई नहीं है। अपीलार्थी इस प्रकार अपने पूरे होश में था जबकि वह इस मूर्खतापूर्ण कृत्य में लिप्त हो गया। अपीलार्थी ने घोर अपराध के लिए कोई पश्चाताप या पश्चाताप नहीं दिखाया है, बल्कि उसने चुन लिया है

अपने 313 Cr.P.C बयान में चुप रहें। 'झूठे' आरोप के मानक बचाव के साथ उनकी जानबूझकर, अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई खामोशी उनकी दया या करुणा की कमी को प्रकट करती है और यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है कि उन्हें कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर, यह न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

जब तक यह कानून की पुस्तक में अंकित है, तब तक मृत्युदंड को लिख लें। [पैरा 61] [753-डी-एच]

माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470:

[1983] 3 एससीआर 413; बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684-इसके बाद आया।

कालू खान बनाम। राजस्थान राज्य (2015) 16 एस. सी. सी. 492; सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2017) 4 एस. सी. सी. 393; राजिंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य

समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं. 306-307 / 2013 परशुराम बनाम. मध्य प्रदेश राज्य (2019) 8 एससीसी 382; [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धनंजय चटर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2

एस. सी. सी. 220; [1994] 1 एस. सी. आर. 37; शंकर किशनराव

खाड़े वी। महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एससीसी 546: [2013] 6 एस. सी. आर. 949; शिवाजी बनाम. महाराष्ट्र राज्य (2008) 3 एससीसी 26; संतोष कुमार सतीशभूषण

बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एससीसी 498: [2009] 9 एससीआर 90; स्वामी श्रद्धानंद @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम। कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी

767 : [2008] 11 एस. सी. आर. 93; भारत संघ बनाम। वी. श्रीहरण @मुरुगन और अन्य। (2016) 7 एससीसी 1: [2015] 14 एससीआर

613 – संदर्भित किया गया। कैलिफोर्निया बनाम। रामोस 463 U.S.992-संदर्भित।

पर आर. सुभाष रेड्डी, जे. (आंशिक रूप से असहमत) 1. पीडब्लू-9 (पीड़ित बच्चे के पिता) के बयान से पता चला कि वह एक फल विक्रेता था, जो नूतन वसाहत में रहता था।

जालना क्षेत्र और अपीलार्थी भी उसी गली में रहते थे। इसके अलावा, उसके बयान से यह भी स्पष्ट है कि अपराध होने के दिन आरोपी शराब के नशे में था। जहां अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी शराब के प्रभाव में था और उसने अपराध किया था, उसे पूर्व नियोजित अपराध नहीं कहा जा सकता है, इसे एक उत्तेजक परिस्थिति के रूप में गिनने के लिए, उत्तेजक और अपराध को संतुलित करने के लिए।

मृत्युदंड की सजा नहीं दी जानी चाहिए। किसी मामले में, अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित होता है, परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करके, जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है, ऐसे मामलों में, परिस्थितियों को बढ़ाने और कम करने के पहलुओं को संतुलित करने पर विचार करके, उचित मामलों में, मृत्युदंड लगाया जा सकता है। लेकिन, साथ ही, आमतौर पर, यदि कोई विशेष कारण मौजूद नहीं है, तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होती है। इस आधार पर भी उस पर लगाई गई मौत की सजा में संशोधन किया जाना है। अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य से, यह आसान है अपीलार्थी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है और रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

इसे उत्तेजक और शमनकारी कारकों को संतुलित करते हुए शमन करने वाले कारकों में से एक के रूप में भी माना जा सकता है। [पारस 18,19,

24 , 28 , 29 , 31] [763 - ई; 764-बी; 766-बी; 767-ई-जी; 768-बी-जी]

लेहना बनाम। हरियाणा राज्य (2002) 3 एससीसी 76: [2002]

1 एस. सी. आर. 377; सुनील बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2017)

2 एससीसी 479: [2012] 13 एस. सी. आर. 1049; मोहिंदर सिंह वी. पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 295: [2013] 3 एससीआर 90; सुशील शर्मा बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2014) 4 एस. सी. सी. 317 [2013] 16 एस. सी. आर. 616; अमित बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2003) 8 एससीसी 93: [2003] 2 पूरक। एससीआर

285 ; सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल बनाम। गुजरात राज्य

(2005) 3 एससीसी 127: [2004] 4 पूरक। एस. सी. आर. 464; बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम। असम राज्य (2007) 11 एस. सी. सी. 467:

[2007] 1 एस. सी. आर. 916; आलोक नाथ दत्ता बनाम। पश्चिमी राज्य

बंगाल (2007) 12 एससीसी 230; स्वामी श्रद्धानंद

वी. कर्नाटक राज्य (2007) 12 एस. सी. सी. 287; सुनील

दामोदर गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2014) 1

एससीसी 129 [2013] 9 एससीआर 295-पर निर्भर

2. संरक्षण के लिए हाल ही में संशोधन किए गए हैं

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012। उक्त संशोधनों के आधार पर, बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न अपराधों के लिए और अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए न्यूनतम सजा बढ़ाई गई है।

कारावास, जो 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो प्राकृतिक जीवन या मृत्युदंड तक हो सकता है। इससे पहले

पॉक्सो के तहत अपराध के लिए 2019 के हालिया संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं किया गया था। उचित मामलों में किए गए संशोधनों के आधार पर, केवल पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने वाले अपराधों के लिए, मौत की सजा का दंड लगाया जा सकता है। हाथ में मामले में, अधिनियम के लागू होने से पहले अपराध किया गया था। फिर भी, बच्चों के खिलाफ

अपराधों से निपटने के दौरान पॉक्सो में संशोधन के परिणामस्वरूप विधायी इरादे को नहीं भुलाया जाना चाहिए। साथ ही, [2019] 15 एस. सी. आर. के लिए मौत की सजा देने के लिए भी।

पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में, अदालतों का कर्तव्य है कि वे परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करें। ऐसे पहलुओं को संतुलित करने के लिए, दिशा-निर्देश

बचन सिंह, माची सिंह और सुशील मुर्मू आवेदन करते रहेंगे। इसके अलावा, प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में उत्तेजक और कम करने वाले कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे पहलुओं को संतुलित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है। [पैरा 32,33] [768-एच; 769-ए-ई]

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684;

माची सिंह और ओआरएस। वी. पंजाब राज्य (1983) 3

एससीसी 470 [1983] 3 एससीआर 413; सुशील मुर्मू बनाम। राज्य झारखंड (2004) 2 एस. सी. सी. 338 [2003] 6 सप्लीमेंट।

एस. सी. आर. 702 पर भरोसा किया। -
3. हाथ पर इस मामले में, की शमनकारी परिस्थितियों

अपीलार्थी, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के लिए, गंभीर परिस्थितियों पर हावी हो जाता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, अपराध करने के समय अपीलार्थी शराब के प्रभाव में था, और अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा, अपीलार्थी की आयु प्रासंगिक समय पर 25 वर्ष थी और दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी पर लगाए गए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना है। आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए कारावास। [पैरा 34] [769-एफ-जी]

नंद किशोर बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [2019] 1

एस. सी. आर. 260; राजू जगदीश पासवान बनाम राज्य

2019 की महाराष्ट्र आपराधिक अपील सं. 88-89;

विजय रायकवार बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (2019) 4

एस. सी. सी. 210-पर निर्भर।

जगमोहन सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1

एससीसी 20: [1973] 2 एससीआर 541; कालू खान बनाम। की स्थिति

राजस्थान (2015) 16 एस. सी. सी. 492-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

सूर्यकांत के निर्णय में, जे।

(2015) 16 एससीसी 492

संदर्भित किया गया है

पैरा 38 एवीआई एस/ओ अशोक गुमारे वी। महाराष्ट्र राज्य

017) 4 एस. सी. सी. 393

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

019) 8 एस. सी. सी. 382

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

994] 1 एससीआर 37

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

013] 6 एससीआर 949

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

008) 3 एससीसी 26

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

009] 9 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पैरा 40

008] 11 एससीआर 93

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

015] 14 एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

980) 2 एस. सी. सी. 684

संदर्भित किया गया है

पैरा 44

983] 3 एससीआर 413

संदर्भित किया गया है

पैरा 45

014] 4 एससीआर 287

संदर्भित किया गया है

पैरा 53

017] 3 एससीआर 850

संदर्भित किया गया है

पैरा 54

019] 3 एससीआर 446

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 951

संदर्भित किया गया है

पैरा 56

आर का निर्णय।

सुभाष रेड्डी, जे.

973] 2 एससीआर 541

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

980) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

015) 16 एससीसी 492

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

002] 1 एससीआर 377

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

017) 4 एस. सी. सी. 393

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

012] 13 एससीआर 1049

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

013] 3 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

013] 16 एससीआर 616

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

003] 2 पूरक। एससीआर 285

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

004] 4 पूरक। एससीआर 464

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

007] 1 एससीआर 916

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

007) 12 एससीसी 230

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2007) 12 एससीसी 288

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2013] 9 एससीआर 295

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

[2003] 6 पूरक। एससीआर 702

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[2019] 1 एससीआर 260

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

(2019) 4 एस. सी. सी 210

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1488-1489 2018 से।

उच्च न्यायालय के 20.01.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय, 2015 के पुष्टिकरण मामले संख्या 1 और 2015 की आपराधिक अपील संख्या 783 में औरंगाबाद की पीठ।

सुश्री नित्य रामकृष्णन, अश्वथ सीतारमन, अर्चित कृष्णा,

सुश्री स्नेहा सिंह, शादन फरासत, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

निशांत आर. कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

सूर्या कान्ट, जे. *

1. यह अपील 20 जनवरी, 2016 के फैसले पर आधारित है।

बॉम्बे के उच्च न्यायालय द्वारा पारित, औरंगाबाद की पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जालना द्वारा तय 2012 के सत्र मामले संख्या 127 में मृत्यु संदर्भ की पुष्टि करते हुए पारित किया, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, आई. पी. सी.) की धारा 30,363,376 और 377 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया है, उसे आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत मौत की सजा के साथ-साथ शेष अपराधों के लिए जुर्माने के साथ विभिन्न अवधि के कठोर कारावास (अवधियों) की सजा सुनाई गई है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय दिया है कि यह मामला 'दुर्लभतम में दुर्लभतम' मामलों की असाधारण श्रेणी में आता है, जहां मौत की सजा देने के अलावा अन्य सभी वैकल्पिक विकल्पों को बंद कर दिया जाता है।

2. वनाच्छादित निष्कर्ष की ओर ले जाने वाले तथ्य हैं

निम्नलिखित प्रभावः

3. मुखबिर इलियास मोहिनुद्दीन (पी. डब्ल्यू. 9) एक फल विक्रेता था।

जालना में स्थित है। आई. डी. 1 को शाम करीब 5 बजे जब वह हमेशा की तरह फल बेचने में व्यस्त थे, उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी (संक्षेप में, 'पीड़ित बच्चा') जो 2 साल की थी, लापता है। उनके साथ

एड। ध्यान देंः सूर्यकांत, जे. (आर. एफ. नरीमन, जे. और स्वयं के लिए) द्वारा दिया गया निर्णय

रावी एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

उसके रिश्तेदारों ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। उनकी तलाशी के दौरान, मुखबिर को अजबर (पीडब्लू. 2) से पता चला कि अपीलकर्ता को नशे में देखा गया था और वह मरोटी मंदिर के पास गली में छोटे बच्चों को चॉकलेट वितरित कर रहा था। अपीलार्थी भी उसी गली का निवासी था। सूचना देने वाला अपीलार्थी के घर गया जो बंद पाया गया। चूंकि लापता बच्चे के ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका है, इसलिए सूचना देने वाले ने पुलिस में औपचारिक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अपीलार्थी द्वारा छोटे बच्चों के बीच चॉकलेट के वितरण के संबंध में अज़बर (पीडब्लू. 2) से प्राप्त जानकारी भी पुलिस को दी। इसलिए पुलिस अपीलार्थी के घर आई, जहाँ दो दरवाजे थे। एक बाहर से बंद पाया गया जबकि दूसरा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर मुखबिर, उसके भाई और कुछ अन्य लोगों के साथ घर में प्रवेश किया।

लोग।

उन्होंने अपीलार्थी को घर में पाया; मृतक-पीड़ित नग्न और बेहोशी की हालत में बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था। उसके गुप्तांगों से खून बह रहा था और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। उसे कंबल में ढक दिया गया और अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंचनामा तैयार किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डॉ. बी. एल. सुरवासे और डॉ. बेदारकर (क्रमशः पी. डब्ल्यू. 7 और पी. डब्ल्यू. 8) सहित डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्ट का प्रदर्शन किया।

शव परीक्षण किया गया और पीड़ित व्यक्ति पर कई चोटें पाई गईं। उन्होंने राय दी कि मौत गला घोंटने के कारण हुई थी। सूचना देने वाला

पीड़ित के पिता ने 07.03.2012 पर सुबह 12.30 पर रिपोर्ट दर्ज की, जिसके आधार पर 2012 का अपराध संख्या 56 दर्ज किया गया था। अपीलार्थी को उसी दिन लगभग 1 बजे जाँचकर्ता द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारी राजिंदर सिंह गौर (P.W.12)। अपीलार्थी द्वारा पहने गए कपड़े जब्त कर लिए गए और पंचनामे के गवाह शेख अरशद और शेख की उपस्थिति में जब्ती पंचनामा तैयार किया गया।

नईम।

4. मृतक के पिता इलियास (पीडब्लू. 9) ने भी पेश किया।

उसके द्वारा पहने गए कपड़े जो भी उनकी उपस्थिति में विधिवत जब्त कर लिए गए थे सैयद मुजीब (पीडब्लू. 1) और मोहम्मद। अकबर खान। अपराध पंचनामे का दृश्य तैयार किया गया और मौके पर मिली वस्तुओं को भी जब्त कर लिया गया। अपीलार्थी को चिकित्सीय जाँच के लिए घाटी अस्पताल, औरंगाबाद भेजा गया था। अपीलार्थी के रक्त के नमूने 11.3.2012 पर लिए गए और जब्त मुददेमल के साथ डीएनए जांच के लिए मुंबई भेजे गए। अपीलार्थी के रक्त के नमूने फिर से 13.03.2012 पर लिए गए और डीएनए परीक्षण के लिए भेजे गए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. आरोप पत्र दाखिल करने पर आई. पी. सी. की धारा 363,376 और 302 के तहत आरोप तय किए गए, जिन पर अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया।

और मुकदमे का दावा किया। इसके बाद, अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत एक अतिरिक्त आरोप तैयार करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया गया और धारा 377 के तहत आरोप तय किया गया, जिस पर भी अपीलार्थी ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया। उनका बचाव पूरी तरह से इनकार करने और उन्हें गलत तरीके से फंसाने का था।

6. अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों से पूछताछ की। निम्नलिखित

इस प्रकार विचारण न्यायालय के विचार के लिए बिंदु उत्पन्न हुएः

" 1. क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करता है कि अभियुक्त

6.3.2012 लगभग 16.00 घंटे पर। इंदिरा नगर, पुराने जालना, तालुका और जिले के आसपासः जालना ने इलियास पठान नामक 16 साल से कम उम्र की एक नाबालिग लड़की का उसके वैध अभिभावक से और उसकी सहमति के बिना अपहरण कर लिया और इस तरह आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध किया।

2. क्या अभियोजन पक्ष आगे यह साबित करता है कि अपराध की उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर अभियुक्त ने बलात्कार किया था

और इस प्रकार दंडनीय अपराध किया।

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत?

3. क्या अभियोजन पक्ष आगे यह साबित करता है कि अपराध की उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर अभियुक्त ने नाबालिग लड़की के साथ प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। और इस प्रकार उसने यू/एस के तहत दंडनीय अपराध किया।

377 आई. पी. सी.?

4. क्या अभियोजन पक्ष आगे यह साबित करता है कि अपराध की उपरोक्त तिथि, समय और स्थान पर अभियुक्त ने जानबूझकर हत्या की या जानबूझकर XXX की मृत्यु का कारण बना।

आई. पी. सी.?

7. ट्रायल कोर्ट ने प्रत्येक बिंदु के संदर्भ में साक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें सकारात्मक जवाब दिया। इसने अपीलार्थी को ऊपर उल्लिखित अपराधों का दोषी ठहराया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय 'उत्तेजक परिस्थितियों' और 'शमनकारी परिस्थितियों' की तुलना करते हुए और यह पाए जाने पर कि

अपराध सबसे क्रूर, शैतानी और विद्रोही तरीके से किया गया था, जिसने समाज की सामूहिक अंतरात्मा को हिला दिया था, यह पाया गया कि आर. आर. परीक्षण (दुर्लभतम रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम।

मामले) पूरी तरह से आकर्षित हैं, इसलिए अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत मृत्युदंड लगाया गया था। 8. उच्च न्यायालय ने मृत्यु संदर्भ के साथ-साथ निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील पर विचार किया और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की जांच करने के बाद, निम्नलिखित तथ्यात्मक मुद्दों पर पहुंचाः

" ए. आरोपी पीड़ित लड़की के साथ एक घर में पाया गया था जिसका एक दरवाजा बाहर से बंद था और दूसरा दरवाजा

अंदर से बंद,

बी. पीड़ित व्यक्ति पर कई चोटें पाई गईं,

ग. चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि लड़की को जबरन भर्ती किया गया था

बलात्कार किया और मार डाला,

डी. खून से सना हुआ जींस पैंट और फुल बुश शर्ट की रिकवरी

(फटे हुए) अभियुक्त से,

ई. प्रेरणा,

एफ. अभियुक्त को प्रशंसनीय स्पष्टीकरण देने में विफलता

उसके खिलाफ दोषपूर्ण परिस्थितियाँ "।

9. उच्च न्यायालय ने कहा कि परिस्थितियाँ निर्णायक रूप से साबित करती हैं

कि पहेली के सभी टुकड़े इतने पूरी तरह से फिट बैठते हैं कि वे अपीलार्थी की निर्दोषता की परिकल्पना के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ते हैं, बल्कि यह निर्विवाद निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि यह अपीलार्थी ही है जो पीड़ित बच्चे को अपने घर ले गया, उसका यौन उत्पीड़न किया, अप्राकृतिक संभोग किया और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। नतीजतन, अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धाराओं, यानी आई. पी. सी. की धाराओं, यानी आई. पी. सी. की धारा, यानी आई. पी बरक़रार रखा गया।

10. इसके बाद उच्च न्यायालय ने सजा की मात्रा और क्या आर. आर. परीक्षण आकर्षित किया गया था, इस सवाल पर खुद को नियुक्त किया।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए। उच्च न्यायालय ने 'उकसाने वाली' और 'कम करने वाली' परिस्थितियों की बैलेंस शीट तैयार की और उनके तुलनात्मक विश्लेषण के बाद, यह निचली अदालत द्वारा दिए गए अत्यधिक दंड से सहमत हुआ और मौत की सजा की पुष्टि की।

11. हमने अपीलार्थी की विद्वान वकील सुश्री नित्य रामकृष्णन और महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील श्री निशांत आर. कटनेश्वरकर को गुण-दोष के साथ-साथ विवादास्पद मुद्दे पर भी सुना है: वाक्य की मात्रा और प्रासंगिक अभिलेख का बारीकी से अध्ययन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दोषपूर्ण गणना में खामियां हैं जिनका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है वाक्य की मात्रा भी। उसने आग्रह किया कि अजबर (पीडब्लू. 2) के अनुसार, अपीलकर्ता दोपहर 3:30 से 4 बजे के आसपास मरोटी मंदिर के पास बच्चों को चॉकलेट वितरित कर रहा था और पीड़ित की मां ने फोन किया।

उसके पति इलियास (पीडब्लू. 9) ने शाम करीब 5 बजे बताया कि मृतक पीड़िता शाम 4 बजे से लापता थी। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह उन बच्चों में से एक थी जिन्हें अपीलार्थी चॉकलेट वितरित कर रहा था; पीड़ित शाम 4 बजे तक कहाँ थी और उसे आखिरी बार कहाँ और कब और किसकी संगति में देखा गया था? तर्क यह है कि

पीड़ित को अंततः अपीलार्थी के साथ नहीं देखा गया। तब यह आग्रह किया गया कि अपीलार्थी का घर पीड़ित के घर से चार घर दूर है; अपीलार्थी के बगल में और उसके विपरीत अन्य घर हैं, इसलिए, यह अविश्वसनीय है कि किसी ने भी पीड़ित बच्चे को अपीलार्थी द्वारा ले जाते हुए नहीं देखा। उसने बताया कि पाँच पुलिसकर्मी अपीलार्थी के घर में घुस गए और मुखबिर (पीडब्लू. 9) भी उनके साथ था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अपने बयानों में ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया है।

13. अपीलार्थी के विद्वान वकील के अनुसार, अज़बर (पीडब्लू. 2) भी अपीलार्थी के घर यह जानने के बाद गया कि पीड़ित का पता अपीलार्थी के घर में लगा है, फिर भी वह दावा करता है कि उसने अपीलार्थी को खाट के नीचे देखा था, जबकि पीड़ित घर के अंदर खाट पर था। यह अविश्वसनीय था कि पुलिस द्वारा 10x10 कमरे में प्रवेश करने और उसकी तलाश करने के बाद भी, अपीलार्थी तब तक खाट के नीचे रहेगा जब तक कि पी. डब्ल्यू. 2 मौके पर नहीं पहुंच जाता। इसी तरह, पीड़ित के मामा असलम (पी. डब्ल्यू. 5) भी अपीलार्थी के घर पीड़ित के पाए जाने के बाद ही गए। फिर भी, उन्होंने भी अपीलार्थी को खाट के नीचे पाया। विद्वान वकील के अनुसार, इन सभी गवाहों, पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 3, पी. डब्ल्यू. 4, पी. डब्ल्यू. 5 और पी. डब्ल्यू. 9 को यह जानने के बाद निर्धारित किया गया है कि बच्चा कथित रूप से घर में प्रवेश करने के तुरंत बाद एक दृश्य का वर्णन करने के लिए पाया गया था, जो स्वाभाविक रूप से मामला नहीं हो सकता है। यह दृढ़ता से आग्रह किया गया कि इनमें से अधिकांश व्यक्तियों ने अपराध या अपराध स्थल को नहीं देखा क्योंकि उन्होंने गवाही दी है

केवल दिलीप प्रल्हादराव तेजन (पी. डब्ल्यू. 3), जो एक पुलिस अधिकारी हैं, का कहना है कि अपीलकर्ता को बच्चे की शील भंग करते हुए पाया गया था। इस प्रकार यह सुझाव देता है कि इन सभी गवाहों की गवाही सटीक नहीं है और सबसे अच्छा यह एक निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि बच्चा उसी घर में पाया गया था

अपीलार्थी था। यह इंगित किया गया कि पी. डब्ल्यू. 3, पी. डब्ल्यू. 4 रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम की गवाही।

और पी. डब्ल्यू. 9 इस बिंदु पर भिन्न होता है कि उन्होंने घर में प्रवेश करते समय क्या देखा। हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 3 का बयान जिसमें दावा किया गया है कि अपीलार्थी पाया गया था

बिस्तर के नीचे बच्चे की शील भंग करना, अन्य लोगों के संस्करण से अलग है जिन्हें बिस्तर के चारों ओर एक कपड़ा मिला और वे अपीलार्थी और पीड़ित को तभी देख सकते थे जब कपड़े को हटा दिया गया था। पीडब्लू. 9 (पीड़ित बच्चे का पिता) वही तथ्य नहीं बताता है जो पीडब्लू. 3 या पीडब्लू. 4 द्वारा वर्णित किए गए हैं और इस प्रकार अपीलार्थी के घर के अंदर प्रवेश करने पर जो देखा गया था, उस पर असंगत संस्करण है।

14. तब यह आग्रह किया गया था कि क्षेत्र के घर एक करीबी समूह में थे और अपीलार्थी के लिए यह लेना मुश्किल होता

किसी के ध्यान में आए बिना बच्चा दूर। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष दो महत्वपूर्ण तथ्यों को स्थापित करने में विफल रहा है, अर्थात् वह स्थान जहां पीड़ित बच्चे को आखिरी बार देखा गया था और उसकी मृत्यु का अनुमानित समय। इन दो तथ्यों की गारंटी के अभाव में कि पीड़ित बच्चे को आखिरी बार कब जीवित देखा गया था और उसकी मृत्यु का अनुमानित समय, अपीलार्थी के घर में रात 9:30-10.00 के बीच उसके शव की बरामदगी प्रति व्यक्ति है

आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है।

15. यह तर्क दिया गया था कि पी. डब्ल्यू. 9 (सूचना देने वाले) के अनुसार भी अपीलार्थी अपने परिवार के साथ उसी घर में रह रहा था।

पिछले 7-10 वर्षों में, लेकिन अभियोजन पक्ष यह बताने में विफल रहा है कि उन छह घंटों के दौरान परिवार के अन्य सदस्य कहाँ थे,

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम 4 बजे से 10.00 बजे के बीच। यह डी. एन. ए. रिपोर्ट को देखते हुए महत्वपूर्ण है जो केवल यह इंगित करता है कि वे एक ही पैतृक संतान से हैं। 16. विद्वान वकील ने अंत में आग्रह किया कि चूंकि डी. एन. ए. रिपोर्ट में मिलान का आधार अपीलार्थी के रक्त के नमूने के साथ तुलना है, इसलिए अभियोजन पक्ष पर यह स्थापित करना अनिवार्य था कि

रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया के समकालीन रिकॉर्ड को समझाया गया है। जाँच अधिकारी का केवल एक गंजा बयान है कि अपीलार्थी को घाट अस्पताल, औरंगाबाद भेजा गया था। यह दिखाने के लिए कोई ज्ञापन या सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी के रक्त का नमूना किसने एकत्र किया, नमूना कब एकत्र किया गया था और इसे कहाँ और कैसे संरक्षित किया गया था। इसके विपरीत, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट और अपीलार्थी (बहिष्कृत) की नमूना संग्रह रिपोर्ट। 21, 21 ए और 22) इंगित करते हैं कि रक्त का कोई नमूना नहीं लिया गया था जो रक्त की अशुद्धता को दर्शाता है। जाँच अधिकारी की गवाही। मुंबई की रासायनिक प्रयोगशाला भी [2019] 15 एस. सी. आर. करती है।

अपीलार्थी के रक्त के नमूने की किसी भी रसीद का उल्लेख न करें। उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने डी. एन. ए. साक्ष्य पर दृढ़ता से भरोसा किया है, इस तथ्य के बावजूद कि उपयोग की जाने वाली विश्लेषण विधि, यानी वाई-क्रोमोसोम शॉर्ट टेंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म (वाई-एसटीआर) की कुछ अंतर्निहित सीमाएँ हैं, जिसके कारण आरोपी की सटीक पहचान एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं की जा सकती है। ऑटोसोमल एसटीआर विश्लेषण जैसी अन्य प्रक्रियाओं के विपरीत, वाई-एसटीआर विश्लेषण में व्यक्तिगत पहचान की अनुमति नहीं है।

एक ही पुरुष वंश। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष दोषी को घर लाने में विफल रहा है, इसलिए अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है।

17. हालाँकि, विद्वान राज्य वकील ने अपीलार्थी की सभी दलीलों का खंडन किया और हमें नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के माध्यम से ले गए,

विशेष रूप से चश्मदीद गवाह के खाते में यह आग्रह करने के लिए कि अपीलार्थी के अपराध को स्थापित करने में अभियोजन पक्ष द्वारा फुसफुसाने के लायक कोई त्रुटि या चूक नहीं है। उन्होंने मृत्युदंड देने या पुष्टि करने से पहले 'उत्तेजक' और 'कम करने वाली' परिस्थितियों को कैसे तैयार किया गया और तौला गया है, यह समझाने के लिए विवादित निर्णयों के प्रासंगिक हिस्सों का व्यापक रूप से उल्लेख किया।

18. सजा सुनाने के परेशान क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, यह उचित है

यह पता लगाने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है, अभिलेख पर तथ्यों और साक्ष्य को दोहराने के लिए।

19. पीड़ित 2 साल की भी नहीं थी जब उसकी एक अप्राकृतिक मौत हो गई। डॉ. बी. एल. सुरवेश (पी. डब्ल्यू. 7) और डॉ. बेदारकर (पी. डब्ल्यू. 8) सहित डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा आई. डी. 1 पर पोस्टमार्टम किया गया। डॉ. बी. एल. सुरवेश के अनुसार, बाहरी चोटें आंतरिक चोटों के अनुरूप थीं और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। सभी चोटें पोस्टमार्टम से पहले की थीं और मौत का कारण गला घोंटना था। मेडिकल बोर्ड ने मृतक-पीड़ित के शरीर पर बाहरी जांच में निम्नलिखित चोटें पायाः

1. छाती के दाहिने तरफ रैखिक घर्षण 2 सेमी, तिरछा,

लाल रंग का।

2. बाएँ युग्मनज क्षेत्र पर घर्षण, 5 x 2 सेमी। 3. रैखिक घर्षण, गर्दन का बायां भाग, क्लैविकल के ऊपर लाल,

लंबाई में लगभग 1 सेमी और संख्या में 2।

4. रैखिक घर्षण, बाएं स्कैप्युलर क्षेत्र, दो संख्या में, एक

अन्य 2 1⁄2 सेमी से नीचे। लाल रंग का।

रावी एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

5. घर्षण, संख्या में 5, पीठ के निचले हिस्से के केंद्र में,

प्रत्येक आकार में 1⁄2 x 1 सेमी।

6. वाल्ट 1⁄2 x 1⁄2 सेमी पर टकराव। 7. दाहिने उप मंडिबुलर क्षेत्र पर घर्षण, 1 सेमी लाल।

8. घर्षण, दाएँ ऊपर क्लैविकुलर क्षेत्र, संख्या में 2,1⁄2

से. मी. प्रत्येक, दूसरे के ऊपर।

20. डॉक्टरों के पैनल ने आगे शरीर की आंतरिक जांच में निम्नलिखित चोटों को पाया।

1. त्वचा के नीचे गर्दन का विच्छेदन, मांसपेशियों और त्वचा पर घर्षण के अनुरूप उपचर्म ऊतकों में संदूषण।

2. दाएँ और बाएँ फेफड़े भरे हुए हैं।

3. हृदय को भीड़भाड़ वाला पाया गया।

4. दिल का दाहिना हिस्सा खून से भरा हुआ था और बायां हिस्सा

खाली था।

5. दाँत के बीच मुँह के अंदर जीभ होती थी।

6. पेट में भीड़ थी और इसमें अर्धांश था।

पचने वाला भोजन।

21. पीड़ित की योनि परीक्षा पर, पीछे की योनि की दीवार और त्रिकोणीय आकार में 2x1x1⁄2 सेमी फटने का प्रमाण मिलता है। था।

देखा गया और हाइमेन टूटा हुआ पाया गया। Dr.Survase (पी. डब्ल्यू. 7) है अपदस्थ किया गया कि "गुदा के स्वाब की जांच के रूप में रिपोर्ट के अवलोकन पर

डीएनए रिपोर्ट, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के खंड 15 में अवलोकन पर विचार करते हुए, मेरा मानना है कि अप्राकृतिक यौन संबंध था। इसी तरह, Dr.Bedarkar (P. W. 8) उसी डीएनए रिपोर्ट को देखने और पोस्ट करने के बाद

शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि, "मेरा मानना है कि योनि और गुदा मैथुन किया गया था।" 22. इसलिए, यह किसी भी संदेह से परे स्थापित है कि पीड़ित बच्चे को जबरन योनि और गुदा/अप्राकृतिक के अधीन किया गया था।

अपीलार्थी और अपराध के बीच संबंध 23. अजबर (पी. डब्ल्यू. 2) अपीलार्थी को बचपन से जानते थे क्योंकि वे दोनों एक ही गली में रहते थे। 06.03.2012 पर,

लगभग 3:30 से 4 बजे अपने घर की ओर जाते समय वह [2019] 15 एस. सी. आर. से मिले।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी जो नशे में था और बच्चों को चॉकलेट वितरित कर रहा था

अगले दिन स्पॉट पंचनामे के लिए 07.03.2012 पर बुलाया गया। एक सफ़ेद कागज़, एक पेंसिल, नीली टूटी हुई चूड़ी, रीना और लक्ष्मी बाई के नाम वाली एक पासबुक और साड़ी का एक टुकड़ा था। पुलिस द्वारा पाया गया और जब्त किया गया और एक लिफाफे में रखा गया। पंचनामे पर उनके हस्ताक्षर हैं। पी. डब्ल्यू. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि अपीलार्थी के माता-पिता जीवित हैं लेकिन वे घटना के समय उसके घर पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने विस्तार से बताया है कि पंचनामा कैसे तैयार किया गया था।

24. पुलिस अधिकारी दिलीप प्रल्हादराव तेजन (पीडब्लू. 3) को 06.03.2012 पर कदीम जालना पुलिस स्टेशन से जोड़ा गया था। लापता होने की रिपोर्ट

इलियास (पीडब्लू. 9) द्वारा अपनी 2 साल की बेटी के बारे में दर्ज कराई गई शिकायत को पूछताछ के लिए पीडब्लू. 3 को सौंप दिया गया। पीडब्लू 3 पुलिसकर्मी कटके, जवाले, राठौड़ और चव्हाण के साथ जालना के इंदिरा नगर इलाके में था, जहाँ उसे पता चला कि अपीलार्थी को चॉकलेट और चॉकलेट वितरित करते हुए देखा गया था।

नाबालिग बच्चों को आइसक्रीम/फल। पी. डब्ल्यू. 3 अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ 9:30 से 9.45 बजे के बीच अपीलार्थी के घर गए और पाया कि वहाँ दो दरवाजे थे, एक बाहर से और दूसरा अंदर से बंद था। पी. डब्ल्यू. 3 ने दरवाजे के अंतराल में झाँक कर देखा और बिस्तर के चारों ओर कुछ कपड़ा देखा। उन्होंने अपीलार्थी को नाम से बुलाया।

लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। गवाह ने तब दरवाजा तोड़ा और घर में प्रवेश किया और अपीलार्थी को बिस्तर के नीचे पीड़ित बच्चे की शील भंग करते हुए पाया। पुलिस-दल ने बच्चे को रजाई से ढक दिया और उसे बिस्तर पर रख दिया। इस बीच लगभग 20 लोगों ने उनका पीछा किया।

जिसमें लापता बच्चे के मामा असलम भी शामिल हैं। पीड़ित बच्चे को असलम के साथ इलाज के लिए भेज दिया गया। चूंकि कई और आक्रोशित लोग घटनास्थल पर जमा हो गए थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें बचा लिया।

अपीलार्थी उसे थाने ले गया। लोग अपीलार्थी को उन्हें सौंपने की मांग कर रहे थे। एक विशिष्ट अदालती प्रश्न पर आर. ए. वी. एस/ओ. अशोक गुमारे बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

किस तरीके से और किन परिस्थितियों में पी. डब्ल्यू. 3 ने देखा

आरोपी और मृतक ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया था कि "मृत बच्चा नग्न पाया गया था और उसके मुंह और गुप्तांगों से खून बह रहा था। अभियुक्त के व्यक्ति पर कोई कमीज नहीं थी, उसकी जींस और पतलून उसके घुटने पर पाई गई थी। आरोपी भी निर्वस्त्र पाया गया।

25. सिपाही संजय कटके (पीडब्लू. 4) भी एपीआई दिलीप प्रल्हादराई तेजान के नेतृत्व वाली पुलिस टीम के सदस्य थे, जो उनकी तलाश कर रही थी।

जालना के इंदिरा नगर इलाके में लापता बच्चा। पी. डब्ल्यू. 4 ने यह भी स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उन्हें आसपास के लोगों द्वारा सूचित किया गया था कि अपीलकर्ता बच्चों के बीच आइसक्रीम और चॉकलेट वितरित करता था और उस दिन भी उसे ऐसा करते देखा गया था। इसलिए पुलिस दल अपीलार्थी के घर गया, जहाँ दो दरवाजे थे। एक दरवाजा बाहर से बंद था जबकि दूसरा अंदर से बंद था। पुलिस दल ने अपीलार्थी को नाम से बुलाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर, उन्होंने दरवाजे के टुकड़े में झाँक कर देखा और उसके चारों ओर एक बिस्तर और कपड़े का कुछ टुकड़ा देखा और उन्हें संदेह हुआ कि बिस्तर के नीचे कोई है। वे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। ए. एस. आई. तेजनकर ने बिस्तर के चारों ओर से कपड़ा हटा दिया और पुलिस दल ने अपीलार्थी और पीड़ित बच्चे को नग्न स्थिति में बिस्तर के नीचे पाया। तेजनकर ने बच्चे को बिस्तर पर रख दिया। " उस बच्चे के मुंह और निजी हिस्से से खून बहता हुआ पाया गया। पीड़ित को कंबल में लपेटा गया और उसके मामा के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। 4-5 पुलिस के साथ घर में घुसे लोग

दल ने अपीलार्थी की अभिरक्षा पर जोर दिया। इस बीच, 150-200 और लोग मौके पर जमा हो गए। अपीलार्थी को भीड़ से बचाया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। भीड़ आक्रामक हो गई और पुलिस के वाहनों और पुलिसकर्मियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। अपीलार्थी के घर को भी कुछ नुकसान हुआ था। पी. डब्ल्यू. 4 वही पुलिस अधिकारी है जिसने कदीम जालना पुलिस स्टेशन (एक्सबीटी) में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 45)। उनकी प्रतिपरीक्षा में, पी. डब्ल्यू. 4 को यह सुझाव दिया गया था कि आसपास की आबादी लगभग 5000 है और वह कभी भी ए. एस. आई. श्री तेजांकर के साथ नहीं थे और उन्हें घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था।

26. असलम (पी. डब्ल्यू. 5) ने पदच्युत कर दिया है कि मृतक उसकी बहन की बेटी थी। उसकी बहन के पति, इलियास ने उसे टेलीफोन पर 06.03.2012 पर सूचित किया कि मृतक लापता है और उसने उसे पीड़ित की एक तस्वीर पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहा। असलम बच्चे की एक तस्वीर लेकर कदीम जालना पुलिस स्टेशन आया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद गवाह लापता [2019] 15 एस. सी. आर. की तलाश में गया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अम्बद चौफुली रेलवे स्टेशन और मोती बाग क्षेत्र में बच्चा। जब वह अभी भी उसकी तलाश कर रहा था, एक हुसैन पठान ने उसे फोन पर सूचित किया कि बच्चा मिल गया है, इसलिए वह तुरंत अपीलार्थी के घर जालना के इंदिरा नगर इलाके में गया। उन्होंने देखा कि अपीलार्थी बिस्तर के नीचे था जबकि पीड़ित बिस्तर पर लेटा हुआ था। बच्चे के व्यक्ति पर कोई कपड़े नहीं थे; वह एक कंबल में लिपटे हुए थी। इसके बाद वह पीड़िता को दीपक अस्पताल, जालना ले गया, फिर सिविल अस्पताल, जालना ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गवाह ने प्रतिपरीक्षा में इस बात से इनकार किया है कि कोई

इलियास (पीडब्लू. 9), पीड़ित के पिता और अपीलार्थी के बीच झगड़ा।

27. नंद कुमार विनायकराव टोपे (पीडब्लू. 6) एक पुलिस हेड कांस्टेबल हैं, जो 12.03.2012 पर कदीम जालना पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपदस्थ किया है कि 11.03.2012 पर उन्हें एक आवरण पत्र के साथ मुद्दमल ले जाने के लिए कहा गया था जिसे उन्होंने 12.03.2012 पर सी. ए. कार्यालय, मुंबई में जमा किया था। आवरण पत्र एक्सबीटी है। पी-51। वह अपीलार्थी के रक्त का नमूना सी. ए. कार्यालय, मुंबई ले गया और जमा किया।

14.03.2012 पर भी ऐसा ही है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी के रक्त के नमूने पर डॉक्टरों और पंचों के हस्ताक्षर थे।

28. अब हम इलियास (पी. डब्ल्यू. 9)-पीड़ित लड़की के पिता के बयान का संक्षेप में उल्लेख कर सकते हैं। उसने अपदस्थ कर दिया है कि बच्चा लगभग था

दो साल का; वह अपनी पत्नी आयशा सहित अपने परिवार के साथ इंदिरा नगर, जालना में रहता है; अपीलार्थी भी उसी गली में रह रहा था। घटना की तारीख को, यानी वह जालना के नूतन वसाहत इलाके में फल बेच रहा था जब उसकी पत्नी ने उसे शाम करीब 5 बजे फोन पर बताया कि उनकी बेटी शाम 4 बजे से लापता है। वह तुरंत घर चला गया जहाँ उसके पिता और भाई पहले ही पहुँच चुके थे। उन्होंने आसपास के इलाकों में बच्चे की तलाश शुरू कर दी। गवाह ने पुलिस को अपनी लापता बेटी के बारे में सूचित किया जिसने भी उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच अजहर उस्मान ने उन्हें सूचित किया कि अपीलकर्ता 'शराब के प्रभाव' में वितरण कर रहा था

बच्चों के लिए चॉकलेट। पी. डब्ल्यू. 9 तब अपीलार्थी के घर गए जो बाहर से बंद पाया गया। बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट लगभग रात 8 बजे-8:30 बजे दर्ज की गई थी। गवाह ने पुलिस को वह जानकारी भी दी जो उसने अजहर से एकत्र की थी। इसलिए पुलिस दल भी अपीलार्थी के घर पहुंचा और उन्होंने एक दरवाजा तोड़ दिया।

दरवाजों से। गवाह और उसके भाई ने पुलिस के साथ घर में प्रवेश किया और पाया कि उसकी बेटी बिस्तर के नीचे लेटी हुई थी और रावी एस/ओ अशोक गुमारे वी।

महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

अपीलार्थी भी बिस्तर के नीचे लेटा हुआ था। उनकी बेटी नंगी थी और उसके व्यक्ति के साथ-साथ निजी अंगों पर भी चोटें आई थीं। पुलिस ने बच्चे को बिस्तर पर रख दिया और उसे कपड़े से ढकने के बाद उसे जालना के दीपक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहले से ही मर चुका है। अपीलार्थी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गवाह ने एक्सबीटी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की भी पहचान की। पी-67। गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में किसी भी विवाद से इनकार किया

परिसर की खरीद के संबंध में अपीलार्थी का पिता।

29. दूसरा गवाह जिसके बयान का सीधा संबंध है

अपीलार्थी को अपराध से जोड़ना एपीआई राजेंद्रसिंह है प्रभुसिंह गौर (P.W.12), जो 06.03.2012 पर कादिम जालना पुलिस स्टेशन से जुड़े थे। उन्होंने अपीलार्थी को सुबह 1 बजे गिरफ्तार कर लिया।

07.03.2012 . अपीलार्थी को ए. एस. आई. द्वारा पुलिस थाने लाया गया।

तेजनकर। उन्होंने आगे कहा है कि "आरोपी के व्यक्ति पर नीली जींस और हरी शर्ट जब्त की गई थी। उस पर खून और वीर्य के धब्बे थे। द सीज़र पंचनामा एक्सबीटी। पी-19 पर मेरे और अभियुक्त के भी हस्ताक्षर हैं। उसने आगे बयान दिया है कि पीड़ित के पिता ने मृतक पीड़ित द्वारा पहना गया निक्कर और फ्रॉक और वह कंबल भी पेश किया जिसमें वह लपेटा गया था। नीली चूड़ी, पेंजन

पंचनामा एक्सबीटी के तहत भी जब्त किए गए। पी-32, जिस पर पंचों के साथ उनके हस्ताक्षर हैं। एस. नं. में दिखाए गए मुद्दमल लेख। आरोप-पत्र में 125 समान थे। मुद्दमल लेख संख्या। 6 और आरोप-पत्र में 7 अपीलार्थी के कपड़े थे। पुलिस अधिकारी (P.W.12) मौके पर गए और खून के दाग, नीली चूड़ी का टुकड़ा, डाकघर की पासबुक और खून के दाग वाली साड़ी का पीला टुकड़ा भी एकत्र किया। इन सभी वस्तुओं को उनके हस्ताक्षर और पंचों के तहत जब्त कर लिया गया था। P.W.12 ने आगे कहा है कि अपीलार्थी को उसकी चिकित्सा जांच और रिपोर्ट संख्या के लिए घाटी अस्पताल, औरंगाबाद भेजा गया था। 21 और 21 ए प्राप्त किया गया। अपीलार्थी के रक्त का नमूना एस. डी. एच. अंबाड से 11.03.2012 पर लिया गया था।

और सभी रक्त के नमूने डीएनए जांच के लिए मुंबई भेजे गए।

एक अग्रेषण पत्र Exbt के साथ। पी-51। चूंकि उक्त रक्त का नमूना निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं भेजा गया था, इसलिए अपीलार्थी के रक्त का एक और नमूना एस. डी. एच. अंबाड के चिकित्सा अधिकारी द्वारा 13.03.2012 पर लिया गया था और इसे आवरण पत्र एक्स. बी. टी. के साथ भेजा गया था। पी-52। P.W.12 ने पीड़ित का विसरा भी 12.03.2012 पर उनके हस्ताक्षर वाले पत्रों के साथ भेजा। विसरा एक्सबीटी की रिपोर्ट। पी-81 भी प्राप्त किया गया था। P.W.12 ने आगे [2019] 15 एस. सी. आर. के संबंध में रिपोर्टों की पहचान की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. गवाहों में से प्रत्येक द्वारा देखे गए तथ्यों के संबंध में गवाहों की गवाही के दृढ़ विश्लेषण के बाद, कोई नहीं बचा है इस बात पर संदेह करने की गुंजाइश है कि 06.03.2012 पर अपीलार्थी को शराब पीने के बाद दोपहर 3:30/4 बजे के आसपास बच्चों को चॉकलेट वितरित करते देखा गया था। पीड़ित बच्चा शाम करीब 4 बजे लापता हो गया जैसा कि इलियास (पीडब्लू. 9) को उसकी पत्नी ने शाम करीब 5 बजे बताया था। उसके लापता होने की जानकारी तुरंत परिवार के सदस्यों/रिश्तेदारों को दी गई और उन सभी ने उसकी तलाश शुरू कर दी।

इस बीच, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस और लापता बच्चे के परिवार के सदस्यों द्वारा इस तरह के तलाशी अभियान के दौरान, यह सामने आया कि अपीलकर्ता उस दिन मरोटी मंदिर के पास बच्चों को लुभाने के लिए चॉकलेट वितरित कर रहा था और उस समय के आसपास बच्चा लापता हो गया था। पुलिस दल, इलियास-पीड़ित के पिता और उनके भाई, वास्तव में आशंकित थे और कुछ बदबू आ रही थी, अपीलार्थी के घर पहुंचे और उसे नग्न अवस्था में पीड़ित के साथ बिस्तर के नीचे रंगे हाथों पकड़ लिया। यह निर्णायक रूप से स्थापित किया गया है कि मृतक पर बेरहमी से हमला किया गया था और योनि और अप्राकृतिक संभोग किया गया था। पीड़ित के चेहरे, सिर, गर्दन, बाहरी जननांग के साथ-साथ गर्भाशय और मूत्रमार्ग के अंदर कई चोटें आई थीं। हम इस संबंध में, विशेष रूप से, दिलीप प्रल्हाद्राय तेजन (पी. डब्ल्यू. 3) के बयान का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने अपीलार्थी के घर के अंदर जबरन प्रवेश करने के बाद, उन्हें बच्चे की शील भंग करते हुए पाया। अपीलार्थी को विशेष जानकारी थी कि पीड़ित बच्चे को किन परिस्थितियों में उन कई चोटों का सामना करना पड़ा। द.

आरोपमुक्त करने में बुरी तरह विफल रहा है, हालांकि अभिलेख पर साक्ष्य संदेह से परे साबित करते हैं कि पीड़ित बच्चा गैरकानूनी हिरासत में था अपीलार्थी लगभग शाम 4 बजे से अपनी अंतिम सांस लेने तक

उस पर जानवर का हमला।

अपीलार्थी को जोड़ने वाले वैज्ञानिक साक्ष्य

अपराधः

31. डॉ. भानु दास सर्वासे (पी. डब्ल्यू. 7) डॉक्टरों के पैनल के सदस्य थे, जिन्होंने पीड़ित के शव का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने गवाही दी है कि स्वाब के नमूने, रक्त के नमूने और नाखूनों के नमूने रवि एस/ओ अशोक गुमारे वी।

पीड़ितों को उनके द्वारा ले जाया गया। डॉ. बेदारकर (पी. डब्ल्यू. 8) का बयान भी ऐसा ही है, जिन्होंने कहा है कि "विभिन्न प्रकार के स्वैब, नाक के स्वैब, सतही योनि स्वैब, स्लाइड पर गहरी योनि स्मीयर, स्लाइड पर सतही योनि स्मीयर, गुदा स्वैब, जांघ और पेट पर त्वचा की खुरचनी, नाखून और XXX के रक्त के नमूने लिए गए थे।" उन्होंने आगे कहा कि सभी नमूनों को जब्त कर लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस निरीक्षक राजेंद्रसिंह प्रभुसिंह गुआर (P.W.12) ने शपथ लेते हुए कहा है कि अपीलार्थी को गिरफ्तार करने के बाद, उसके व्यक्ति पर नीली जींस और हरी शर्ट जब्त कर ली गई थी और खून के धब्बे और वीर्य के धब्बे थे।

उस पर। पीड़ित का निक्कर और फ्रॉक के साथ कंबल जिसमें उसे लपेटा गया था, साथ ही अपराध स्थल से एकत्र की गई विभिन्न वस्तुओं को जब्त कर लिया गया, जिसमें खून के दाग वाली साड़ी का एक टुकड़ा भी शामिल था। अपीलार्थी के रक्त का नमूना भी लिया गया और जब्त की गई सभी वस्तुओं/नमूनों को जाँच के लिए मुंबई भेजा गया। 32. श्रीकांत हनमंत लाडे (P.W.11) फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, मुंबई में सहायक निदेशक, जिन्होंने सी. डी. एफ. डी. में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

संस्थान, हैदराबाद ने भी एक प्रसिद्ध पुस्तक 'फोरेंसिक बायोलॉजी' के अलावा डी. एन. ए. पर लगभग 30 शोध पत्र लिखे हैं। उन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के फोरेंसिक विज्ञान निदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डीएनए परीक्षण किया। उनके कार्यालय को कदीम से सीलबंद मुद्दमल प्राप्त हुआ, जालना पुलिस स्टेशन ने 11.03.2012 दिनांकित पत्र के साथ-साथ अपीलार्थी के रक्त के नमूने को भी दिनांकित 13.03.2012 (Exbt) पत्र के माध्यम से भेजा। पी-52)। पीड़ित के रक्त का नमूना नमूनों के साथ 12.03.2012 पर प्राप्त किया गया था।

मौखिक स्वैब और अन्य वस्तुओं का। P.W.11 ने मौखिक स्वैब और पीड़ित के अन्य लेखों, नाक के स्वैब, सतही योनि स्वैब, गहराई का विश्लेषण किया।

स्लाइड पर योनि स्मीयर, स्लाइड पर सतही योनि स्मीयर, गुदा स्वाब, जांघ और पेट पर त्वचा पर खून का खुरकना, नाखून और अन्य रक्त के नमूने भी। P.W.11 ने आगे कहा है कि,

" मैंने आरोपी रवि घुमरे के रक्त के नमूने से डी. एन. ए. निकाला है, प्रदर्शनी संख्या 3 पर सतही योनि स्वाब, गहरी योनि स्वाब प्रदर्शनी संख्या 4, स्लाइड पर गहरी योनि स्वाब प्रदर्शनी संख्या 5 स्लाइड पर सतही योनि स्वाब प्रदर्शनी संख्या 6, गुदा स्वाब प्रदर्शनी

नं. 7, जांघ और पेट पर त्वचा पर रक्त का स्क्रैपिंग प्रदर्शनी संख्या 8, प्रदर्शनी संख्या 3 जीन्स पैंट पर रक्त और वीर्य का पता चला। इस डीएनए को वाई-गुणसूत्र विशिष्ट मार्कर, वाई का उपयोग करके प्रवर्धित किया गया था।

गुणसूत्र लघु टेंडम दोहराव बहुरूपता [वाई. एस. टी. आर.] और द्वारा पॉलीमरेज़ परिवर्तन प्रतिक्रिया [संक्षिप्त पी. सी. आर. के लिए] प्रवर्धन तकनीक का उपयोग करना। डीएनए प्रोफाइल बनाया गया था। मैंने इन सभी डी. एन. ए. [2019] 15 एस. सी. आर. का विश्लेषण किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रोफाइल। मेरी व्याख्या वीर्य के पुरुष हैप्लोटाइप का पता चला है

प्रदर्शनी संख्या 3 पर सतही योनि स्वाब संख्या 4 को गहराई में प्रदर्शित करें

मेरी राय है कि प्रदर्शनी संख्या 3 सतही योनि स्वैब पर पाए गए वीर्य की डी. एन. ए. रूपरेखा, 4 गहरी योनि स्वैब प्रदर्शित करें, स्लाइड पर 5 गहरी योनि स्मीयर प्रदर्शित करें, स्लाइड पर 6 सतही योनि स्मीयर प्रदर्शित करें, प्रदर्शनी संख्या 7 गुदा स्वैब, प्रदर्शनी संख्या 8, जांघ और पेट पर त्वचा पर खून के खरोंच, प्रदर्शनी संख्या 3 पर पाए गए रक्त और वीर्य, एफ. एस. एल. एम. एल. केस No.DNA 951/112 की जीन्स पैंट और प्रदर्शनी संख्या 1 के रक्त के नमूने F.S.LML केस No.DNA-209/12 के रवि अशोक घुमरे का रक्त नमूना उसी पैतृक से है। संतति।

तदनुसार, मैंने सूची प्रदर्शनी के साथ दाखिल परीक्षा रिपोर्ट तैयार की

No.71 पर मेरे हस्ताक्षर हैं, सामग्री सही है। यह प्रदर्शनी No.75 में है। उपरोक्त सभी डी. एन. ए. प्रोफाइलों का विश्लेषण उसी रिपोर्ट में तालिका में छोटा किया गया है। आरोपी की नीली जींस पैंट और शर्ट प्रदर्शनी

नंबर 3 और 4 को हमारे कार्यालय के जैविक अनुभाग द्वारा संदर्भित किया गया था। मैंने रक्त से डी. एन. ए. निकाला और वीर्य का पता चला प्रदर्शनी संख्या 3, पूर्ण जींस पैंट, प्रदर्शनी संख्या 4 पूर्ण झाड़ी शर्ट पर रक्त का पता चला, और रवि घुमरे का नमूना। फिर इस डीएनए का उपयोग करके प्रवर्धित किया गया था

15 पी. सी. आर. प्रवर्धन तकनीक का उपयोग करते हुए एस. टी. आर. लोसी। मेरा।

रक्त के स्रोत में मातृ और पैतृक युग्मविकल्प। 33. श्रीकांत लाडे (P.W.11) ने तदनुसार डीएनए रिपोर्ट तैयार की।

इसे सहायक रासायनिक विश्लेषक द्वारा भी विधिवत सत्यापित किया जाता है। जी पर उनकी रिपोर्ट की सामग्री के बारे में, P.W.11 ने विशेष रूप से बयान दिया है कि रिपोर्ट एक्स. बी. टी. एस. को देखने पर राय दें।

75-76 कि रावी एस/ओ अशोक गुमारे वी थे। महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

अभियुक्त रवि द्वारा पीड़ित के साथ यौन संबंध और अप्राकृतिक संभोग।

[जोर दिया गया]।

34. अटल वैज्ञानिक साक्ष्य जो अपीलार्थी को दोषी ठहराते हैं

सभी पक्षों से, इस आधार पर महाभियोग की मांग की जाती है कि तत्काल मामले में डी. एन. ए. विश्लेषण "वाई-एस. टी. आर". की विधि अविश्वसनीय है। यह सुझाव दिया जाता है कि उक्त विधि अपराधी के रूप में अभियुक्त की सटीक पहचान नहीं करती है; और अन्य तरीकों के विपरीत ऑटोसोमल एसटीआर विश्लेषण कहते हैं, यह एक ही वंश के पुरुष सदस्यों के बीच अंतर नहीं कर सकता है।

35. हालाँकि, हम समर्पण से प्रभावित नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर

मान्यता प्राप्त चिकित्सा साहित्य के साथ P.W.11-सहायक निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कुछ भी विवादास्पद नहीं छोड़ता है कि यौन उत्पीड़न के मामलों में, पीड़ित और अपराधी का डीएनए अक्सर मिश्रित होता है। ऐसे मामलों में "ऑटोसोमल-एसटीआर" जैसी पारंपरिक डीएनए विश्लेषण तकनीकें संभव नहीं हैं। वाई-एसटीआर विधि तुलना करके केवल पुरुष डीएनए को अलग करने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है। वाई-गुणसूत्र जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। यह अब वैज्ञानिक बहस का विषय नहीं है कि वाई-एसटीआर जांच स्पष्ट रूप से इसके लिए उपयोगी है।

यौन उत्पीड़न के मामलों में पुष्टि और इसका अच्छी तरह से उत्तेजक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है और दुनिया भर में विभिन्न न्यायालयों में व्यापक रूप से इस पर भरोसा किया जाता है। 1 & 2 , विज्ञान और शोध ने

यह दृढ़ता से स्थापित किया गया है कि इस विधि से नमूनों में 'लोसी' के क्षरण की संभावना कम होती है और यह डी. एन. ए. विश्लेषण के अन्य पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। यद्यपि वाई-एसटीआर एक ही वंश के पुरुषों के बीच अंतर नहीं करता है, फिर भी, इसका उपयोग अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए एक मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। डी. एन. ए. विश्लेषण की वाई-एस. टी. आर. तकनीकों का नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्राधिकारों में यौन हमले के मामलों में अपराधी की पहचान के लिए और अनसुलझे मामलों में संदिग्धों की पहचान करने के लिए एक विधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नमूनों के सही मिलान को ध्यान में रखते हुए और डीएनए विश्लेषण प्रक्रिया को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ-साथ P.W.11 के कथन का संभावित मूल्य बहुत अधिक है। फिर भी।

1 "बाल यौन शोषण का पता लगाने और वस्तुनिष्ठ पुष्टि के लिए वाई-एसटीआर विश्लेषण", फ्रेडरिक सी. डेल्फिन-बर्नाडेट जे. मैड्रिड-मेर्ले पी. टैन-मारिया कोराज़ोन ए. डी उंग्रिया द्वारा लिखित।

2 " फोरेंसिक डीएनए प्रमाणः जस्टिस मिंग डब्ल्यू. चिन, माइकल चेम्बरलेन, ए, वाई रोजा, लांस गिमा [2019] 15 एस. सी. आर. द्वारा लिखित 'साइंस एंड द लॉ'।

इसके अलावा, यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि अपराध उसके किसी अन्य करीबी रिश्तेदार द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई अन्य व्यक्ति नहीं था अपीलार्थी को छोड़कर घर में उपस्थित पाया गया।

36. इस प्रकार अभिलेख पर भारी प्रत्यक्षदर्शी विवरण, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य और डी. एन. ए. विश्लेषण है जो निर्णायक रूप से साबित करता है कि यह अपीलार्थी है और केवल वही है, जो इस मामले में भयानक अपराध करने का दोषी है। इसलिए हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बिना किसी हिचकिचाहट के बरकरार रखते हैं।

प्रेरक

37. हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'वासना की संतुष्टि' और 'निशान को हटाना' अपीलार्थी का उद्देश्य था, लेकिन इसका उद्देश्य काम करना नहीं है।

भारतीय दंड संहिता के तहत स्पष्ट आवश्यकता, हालांकि 'उद्देश्य' किसी मामले में अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने में सहायक हो सकता है परिस्थितिजन्य साक्ष्य। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि उद्देश्य की कमी अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं होगी क्योंकि कभी-कभी मनुष्य अतार्किक रूप से और पल भर में कार्य करते हैं। हाथ में मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है क्योंकि विश्वसनीय चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अपीलार्थी को अपराध करते देखा है, वे आंशिक रूप से हो सकते हैं। ऐसा अटूट सबूत

डी. एन. ए. परीक्षण के गहन समर्थन के साथ वीभत्स अपराध के पीछे अपीलार्थी के उद्देश्य के निश्चित निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।

सजाः

38. सजा के सवाल पर, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जोरदार आग्रह किया कि नीचे दिए गए न्यायालय मृत्युदंड की चरम सजा देते समय अपराध की 'प्रकृति' और 'क्रूरता' से काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने एक बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामलों में इस अदालत द्वारा दिए गए 35 फैसलों की सूची का उल्लेख किया-जिसमें मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। यह आग्रह किया गया कि अपराध की क्रूरता अकेले नहीं है मृत्युदंड अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त है; राज्य के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य है कि दोषी सुधार से परे है और इस उद्देश्य के लिए यह देखना प्रासंगिक है कि क्या यह पहली सजा है या पिछले अपराध हुए हैं। इस तरह का दंड देने से पहले न्यायालय द्वारा दोषी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए; परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि दोषसिद्धि गणना में कोई भी कमी चरम दंड को बाधित करेगी। विद्वान वकील ने बहुत अधिक भरोसा किया (i)

रावी एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

कालू खान बनाम। राजस्थान राज्य (2015) 16 एस. सी. सी. 492 जिसमें इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने हत्या, अपहरण और बलात्कार में मौत की सजा को परिवर्तित कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आजीवन कारावास सुधार, प्रतिशोध और रोकथाम के उद्देश्य को पूरा करेगा और जीवन देना और लेना दिव्य है, जो अदालतों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि विकल्पों को पूर्व निर्धारित नहीं किया जाता है। अन्य तीन-सुनील बनाम में न्यायाधीश पीठ का निर्णय। मध्य प्रदेश राज्य (2017) 4 एस. सी. सी. 393 जहां एक 25 वर्षीय व्यक्ति को 4 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार का दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसे इस आधार पर फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था कि उसे सुधार और पुनर्वास किया जा सके, उसकी सहायता के लिए दबाव डाला गया है। उन्होंने, विशेष रूप से, कई तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें अभियुक्त की कम उम्र को एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में लिया गया था और पिछले आपराधिक इतिहास के अभाव में, हिरासत में रहते हुए अभियुक्त के आचरण और सामाजिक-आर्थिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया गया था और मृत्युदंड को कम कर दिया गया था।

39. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम में दिए गए 12 दिसंबर, 2018 के इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बहुत भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य

समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) नं. 306-307 / 2013 जिसमें अपीलार्थी को 3 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा को एक सवार के साथ आजीवन कारावास द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, कि दोषी को उसके शेष जीवन के लिए रिहा नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय ने उस मामले में विचार किया कि (क) मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, (ख) सुधार और पुनर्वास की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, (ग) अभियुक्त का डी. एन. ए. नमूना लिया गया था, लेकिन परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था, और (घ) अभियुक्त के खिलाफ दो समान मामलों के लंबित होने का तथ्य जो उसके बुरे चरित्र को दर्शाता है, स्वीकार्य नहीं था। एक और तीन-परशुराम बनाम मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ का निर्णय। मध्य प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील सं। 314-315 2013 का), 19 फरवरी, 2019 को तय किया गया, जिसमें एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या का दोषी पाए गए 22 वर्षीय व्यक्ति को दी गई मौत की सजा को भी ऊपर उद्धृत सिद्धांतों के आधार पर कम कर दिया गया था। 40. अपीलार्थी के वकील ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय को (i) धनजॉय चटर्जी बनाम का पालन नहीं करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल राज्य

(1994) 2 एस. सी. सी. 220, जिस पर बाद में इस न्यायालय द्वारा शंकर किशनराव खाड़े बनाम में संदेह किया गया था। महाराष्ट्र राज्य (2013) 5 एस. सी. सी. 546 और (ii) शिवाजी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2008) 3 एस. सी. सी. 269 जिसे भी संतोष कुमार सतीशभूषण [2019] 15 एस. सी. आर. में प्रति क्यूरियन माना गया था।

अपराध की प्रकृति से प्रभावित था। अपीलार्थी की कम करने वाली परिस्थितियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया था। द. अपराध की क्रूरता मृत्युदंड अधिरोपित करने का प्रमुख आधार है, हालांकि इस न्यायालय ने इसके विपरीत चेतावनी दी है -

निर्णय लेते हैं। दोनों न्यायालय इस निष्कर्ष को दर्ज करने में विफल रहे हैं कि अपीलार्थी सुधार से परे था और जब तक ऐसा नहीं पाया जाता, तब तक मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी से संबंधित नहीं हो सकता है। 41. (i) आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी; (ii) अपराध से पहले असामाजिक आचरण का कोई रिकॉर्ड नहीं; (iii) अपीलकर्ता की आयु 25-30 वर्ष होना; (iv) अपराध की क्रूरता मौत की सजा देने का आधार नहीं हो सकती है; और (v) अपीलकर्ता समाज के गरीब वर्ग से संबंधित है, उनके विद्वान वकील ने आग्रह किया कि यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

उदारता। उनके अनुसार, अपीलकर्ता समाज के लिए एक खतरा है और मानव जाति के खिलाफ इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए, इस न्यायालय को कोई गलत सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। 43. जो प्रश्न अंततः विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या तत्काल मामला 'दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम' की कसौटी को संतुष्ट करता है और ऐसी असाधारण श्रेणी में आता है जहां मौत की सजा को छोड़कर अन्य सभी विकल्प बंद हैं और क्या इस न्यायालय को स्वामी श्रद्धानंद @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित वास्तविक आजीवन कारावास के फैसले का पता लगाना चाहिए। की स्थिति

कर्नाटक (2008) 13 एस. सी. सी. 767 जिसे भारत संघ बनाम में संविधान पीठ की मंजूरी की मुहर मिल गई है। वी. श्रीहरण @मुरुगन और

ओआरएस। (2016) 7 एससीसी 1.

44. बचन सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684 ने आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत मृत्युदंड की संवैधानिकता और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) में सन्निहित सजा देने की प्रक्रिया को बरकरार रखते हुए एक ओर निवारक सजा के नायकों और दूसरी ओर मौत की सजा के खिलाफ चिल्लाने वाली मानवता और दूसरी ओर रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम के बीच संतुलन कायम किया।

महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

मृत्युदंड देने के लिए न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले सख्त मानदंडों को स्पष्ट किया। इस बात पर जोर देते हुए कि हत्या के दोषी व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास 'नियम' है और मृत्युदंड एक 'अपवाद' है, इस न्यायालय का मानना है कि मानव जीवन की गरिमा के लिए चिंता करने वाला एक नियम कानून के माध्यम से जीवन लेने में प्रतिरोध को स्वीकार करता है और जब वैकल्पिक विकल्प को बंद कर दिया जाता है तो मौत की सजा को 'दुर्लभतम मामलों में छोड़कर' नहीं दिया जाना चाहिए।

45. माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 470, इस न्यायालय ने परीक्षण के रूप में विचार करने के लिए निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए।

दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम का निर्धारण करने के लिए जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता हैः

" (क) क्या कुछ असामान्य है, जो आजीवन कारावास की सजा देता है, मृत्यु के लिए अपर्याप्त कॉल

सजा?

(ख) बल्कि अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि अपराधी के पक्ष में बोलने वाली कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद भी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है?

46. माछी सिंह ने तब उन परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े जिनमें हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा दी जा सकती है और

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" 32. कारण कि समग्र रूप से समुदाय ऐसा क्यों नहीं करता है "मृत्यु" में परिलक्षित मानवतावादी दृष्टिकोण का समर्थन करें

वाक्य-इन-नो-केस "सिद्धांत खोजने के लिए दूर नहीं हैं। सबसे पहले

जगह, बहुत मानवतावादी इमारत का निर्माण किया गया है

"जीवन के प्रति सम्मान" सिद्धांत की नींव। जब कोई सदस्य

समुदाय के लोग हत्या करके इसी सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं एक अन्य सदस्य, समाज इस सिद्धांत की बेड़ियों से खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं कर सकता है। दूसरा, यह महसूस करना होगा कि

समुदाय का प्रत्येक सदस्य सुरक्षा के साथ रहने में सक्षम है।

बिना उसके अपने जीवन को खतरे में डालने के कारण

समुदाय की सुरक्षात्मक शाखा और नियम के कारण

उसके द्वारा लागू कानून। कानून के शासन का अस्तित्व ही

और किताब में लाए जाने का डर एक के रूप में काम करता है

उन लोगों के लिए निवारक जिनके पास दूसरों को मारने में कोई संदेह नहीं है यदि

यह उनके अंत के अनुकूल है। समुदाय का प्रत्येक सदस्य ऋणी है

इस सुरक्षा के लिए समुदाय को ऋण।

कृतज्ञता के बजाय उस समुदाय के किसी सदस्य की "हत्या" करके दिखाया जाता है जो हत्यारे को खुद को मारे जाने से बचाता है, या जब समुदाय को लगता है कि आत्मरक्षा के लिए हत्यारे को मार दिया जाना है, तो समुदाय मौत की सजा को मंजूरी देकर सुरक्षा वापस ले सकता है। लेकिन समुदाय हर मामले में ऐसा नहीं करेगा। यह "दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में" ऐसा कर सकता है जब इसकी सामूहिक अंतरात्मा इतनी हैरान हो जाती है कि यह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से मौत की सजा देने की उम्मीद करेगा, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में हो।

मृत्युदंड को बनाए रखना। समुदाय इस तरह की भावना का मनोरंजन कर सकता है जब अपराध को मंच से देखा जाता है

अपराध के लिए उद्देश्य, या अपराध करने का तरीका, या अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति, जैसे -

दृष्टान्तः

I. हत्या करने का तरीका 33. जब हत्या अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो। उदाहरण के लिए,

((i) जब पीड़ित के घर में उसे जिंदा भूनने के लिए आग लगा दी जाए।

((ii) जब पीड़ित को यातना या क्रूरता के अमानवीय कृत्यों के अधीन किया जाता है ताकि उसे लाया जा सके।

मृत्यु।

((iii) जब पीड़ित के शरीर को टुकड़ों में काटा जाता है या उसके शरीर को भद्दे तरीके से विखंडित किया जाता है।

II. हत्या करने का कारण

34. जब हत्या एक ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जब (क) कोई भाड़े का हत्यारा धन या इनाम के लिए हत्या करता है (ख) जानबूझकर हत्या की जाती है ताकि संपत्ति विरासत में मिल सके या किसी वार्ड या हत्यारे के नियंत्रण में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया जा सके या जिसे हत्यारा हावी स्थिति में या विश्वास की स्थिति में है, या (ग) मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के लिए हत्या की जाती है।

VI एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

III. अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति

35. (क) जब अनुसूचित जाति के किसी सदस्य की हत्या की जाती है या

कारण लेकिन उन परिस्थितियों में जो सामाजिक रोष पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए जब इस तरह का अपराध आतंकित करने के लिए किया जाता है ऐसे व्यक्ति और उन्हें किसी स्थान से भागने के लिए डराते हैं या उन्हें वंचित करने के लिए, या अतीत को उलटने की दृष्टि से उन्हें प्रदान की गई भूमि या लाभों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं।

अन्याय और सामाजिक संतुलन को बहाल करने के लिए। (ख) "दुल्हन को जलाने" और जिसे "दहेज मृत्यु" के रूप में जाना जाता है या जब हत्या की जाती है तो

एक बार फिर दहेज निकालने के लिए या फिर से शादी करने के लिए

मोह के कारण दूसरी महिला से शादी करें।

IV. अपराध की व्यापकता

किसी परिवार या किसी विशेष परिवार के बड़ी संख्या में लोग जाति, समुदाय या इलाका प्रतिबद्ध हैं।

V. हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व

37. जब हत्या का शिकार (क) एक निर्दोष बच्चा होता है जो कोई बहाना भी नहीं दे सकता था या नहीं दे सकता था, तो बहुत कुछ।

कम उकसावा, हत्या के लिए (बी) एक असहाय महिला या वृद्धावस्था या दुर्बलता से असहाय व्यक्ति (सी) जब पीड़ित एक व्यक्ति है और जिसे हत्यारा प्रभुत्व या विश्वास की स्थिति में है (डी) जब पीड़ित सार्वजनिक है

आम तौर पर समुदाय द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्यार और सम्मान किया जाता है और हत्या के लिए किया जाता है

व्यक्तिगत कारणों के अलावा राजनीतिक या इसी तरह के कारण। ... . "

47. इस प्रकार माछी सिंह (ऊपर) से स्पष्ट किया गया है कि गंभीरतम मामलों में तीन दोषियों को छोड़कर अत्यधिक मौत की सजा देने की आवश्यकता नहीं है और जहां हत्या का शिकार (ए) एक सौ प्रतिशत बच्चा है जो कोई बहाना नहीं दे सकता था या जिसने कोई बहाना भी नहीं दिया था।

हत्या के लिए उकसावे से कम। ", ई की ऐसी घृणित प्रकृति निश्चित रूप से सबसे गंभीर मामलों की असाधारण श्रेणी में आएगी।

मैं दोषी हूँ।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. माची सिंह के मामले में इस अदालत ने अपीलकर्ताओं में से एक कश्मीर सिंह को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की क्योंकि वह 6 साल की उम्र के एक गरीब असहाय बच्चे (बीर सिंह) को मौत के घाट उतारने का दोषी पाया गया था। अपीलार्थी कश्मीर सिंह को हत्या करने की गंभीर प्रवृत्ति वाले भ्रष्ट दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

49. बचन सिंह और माची सिंह, क्रमशः संविधान पीठ और तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय, समकालीन सजा न्यायशास्त्र की नींव के रूप में कार्य करते हैं। हालाँकि उन्हें मौत की सजा को कम करने के उद्देश्य से समझाया या अलग किया गया है, ज्यादातर मामलों में (i) केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि; (ii) अभियोजन पक्ष की विफलता

अपनी जिम्मेदारी निभाएँः सुधार; (iii) अवशिष्ट संदेहों का मामला; और (iv) जहां अन्य विशिष्ट 'शमनकारी' परिस्थितियाँ 'उग्र' परिस्थितियों से अधिक भारी थीं। 50. यह उल्लेखनीय है कि सजा की मात्रा निर्धारित करने का उद्देश्य और उद्देश्य 'न्यायाधीश' के अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना 'समाज केंद्रित' होना चाहिए, क्योंकि समाज में सबसे बड़ा हितधारक है

आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रशासन। एक नागरिक समाज को समाज विरोधी तत्वों के हाथों किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक भय, खतरे या असुरक्षा से मुक्त रहने का 'मौलिक' और 'मानव' अधिकार है।

समाज वैध रूप से अपेक्षा करता है कि न्यायालय आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करेंगे और अपराध की गंभीरता के अनुरूप उपयुक्त और निवारक सजा देंगे।

51. समान रूप से एक 'पीड़ित' का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है जो

धारा 2 (डब्ल्यू. ए.), Cr.P.C में परिभाषित उसके अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं। लंबे समय से, आपराधिक कानून को एक आयामी स्तर पर देखा गया था जिसमें अदालतों को आरोपी और राज्य के बीच निर्णय लेने की आवश्यकता थी। 'पीड़ित'-अपराध के वास्तविक पीड़ित का न्यायिक प्रक्रिया में कोई दखल नहीं था और उसे अदालत के बाहर मूक दर्शक के रूप में बैठाया जाता था। 'अपराध' को रोकने और दंडित करने के लिए आपराधिक न्याय व्यवस्था का लोकाचार गुप्त रूप से ऐसे अपराध के 'पीड़ित' से मुंह मोड़ लेगा, जिनके चिल्लाने पारंपरिक तंत्र के लंबे गलियारों में सदियों तक अनसुने रहे। मुकदमे में भाग लेने सहित कुछ सीमित अधिकार अब 2009 के अधिनियम संख्या 5 द्वारा भारत में एक 'पीड़ित' को प्रदान किए गए हैं, जिसके तहत मुकदमे में कुछ व्यावहारिक परिवर्तन किए गए हैं।

Cr.P.C. बनाया गया है।

52. इसलिए सजा नीति को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने और (i) निवारक रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम के दोहरे परीक्षण पर भरोसा करने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

प्रभाव, या (ii) नागरिक समाज में अपराधी के एकीकरण के लिए पूर्ण सुधार। जहां न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपराधी में सुधार की कोई संभावना नहीं है, सभी चीजों से पहले दंड अपराध की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए और बुराई करने वालों के लिए एक उदाहरण बनाने और उन लोगों के लिए एक चेतावनी के साथ निवारक होना चाहिए जो अभी भी निर्दोष हैं। इस बात का कोई खंडन नहीं है कि सजा सामाजिक नैतिकता का प्रतिबिंब है। मृत्युदंड का निर्वाह यह साबित करता है कि

कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें समाज इतना अनिवार्य रूप से नापसंद करता है कि वे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों-जीवन के अधिकार को लेने को उचित ठहराते हैं।

53. यदि मामला-अपीलार्थी की ओर से उद्धृत कानून जहां यह

अदालत ने मौत की सजा को शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया 'या तो इन रूपों के भीतर सराहना की जाती है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी

विस्तृत चर्चा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता ने इस न्यायालय को नरमी बरतने और कम सजा के साथ मौत की सजा को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रेरित किया। राजेन्द्र प्रल्हाद्राय वाशनिक (ऊपर) में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय स्पष्ट है इसी आधार पर भेद किया जा सकता है क्योंकि यह एक ऐसा मामला था, जो न केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, बल्कि जहां इसका डीएनए नमूना भी था

हालांकि आरोपी को लिया गया था, लेकिन उसे निचली अदालत में पेश नहीं किया गया था।

यह था।

इस प्रकार "अवशिष्ट संदेह" का मामला जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अशोक देबबर्मा बनाम में समझाया गया है। त्रिपुरा राज्य (2014) 4 एससीसी 747। यही सादृश्य उस के लिए भी परशुराम (सुप्रा) में अध्यवसायी बल को हटा देता है।

एक ऐसा मामला था जिसमें अपराध केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया गया था।

54. इसके विपरीत, वसंता में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

संपत डुपारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2017) 6 एससीसी 631, जो इस मामले के तथ्यों के बहुत करीब है, दोषी को चॉकलेट देने का लालच देकर 4 साल की छोटी लड़की के साथ बलात्कार करने और उसे पीट-पीटकर मारने का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष ने इस पर भरोसा करके अपना मामला स्थापित किया

' अंतिम बार देखा गया सिद्धांत 'के रूप में अपीलार्थी को दुर्भाग्यपूर्ण दिन पीड़ित को साइकिल पर ले जाते हुए देखा गया था। प्रत्यक्षदर्शी विवरण, अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य ने उसे दोषी ठहराया। इस न्यायालय द्वारा 26 नवंबर, 2014 को मृत्यु की पुष्टि की गई थी। इसके बाद उन्होंने लगभग तीन साल बाद एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया कि उनकी मौत की सजा की पुष्टि के बाद, उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता में सुधार किया है, गांधी को पूरा किया है। विचार परीक्षा और ड्राइंग प्रतियोगिता में भी भाग लिया था

जनवरी, 2016 में किसी समय आयोजित। यह भी दावा किया गया कि उनकी जेल [2019] 15 एस. सी. आर.

अभिलेख में कोई दोष नहीं था और अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना थी। इस न्यायालय ने समीक्षा याचिका को एक स्व-भाषी निर्णय के माध्यम से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि गंभीर परिस्थितियाँ, अर्थात् अत्यधिक भ्रष्टता और बर्बर तरीके से अपराध किया गया था और यह तथ्य कि पीड़ित चार साल का असहाय बच्चा था, स्पष्ट रूप से अब दर्ज की गई कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक है।

55. खुशविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2019) 4 एससीसी

415 , इस अदालत ने एक आरोपी की मौत की सजा की पुष्टि की जिसने

छह निर्दोष व्यक्तियों को मार डाला, जिनमें से दो नाबालिग थे, तीन व्यक्तियों का अपहरण करके, उन्हें सोने की गोलियों से नशीली दवा देकर, और फिर उन्हें एक नहर में धकेलकर। इसके बाद, उसी परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी हटा दिया गया। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए मृत्युदंड के फैसले को बरकरार रखाः

संबंधित, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि, इस तरह, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील किसी भी कम करने वाली परिस्थिति को इंगित करने की स्थिति में नहीं है जो वारंट करती है। मृत्युदंड को
आजीवन कारावास में परिवर्तित करना। में

वर्तमान मामले में, अभियुक्त ने छह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी है, जिनमें से दो 10 साल से कम उम्र के नाबालिग थे। लगभग सभी
पीडब्लू 5 के परिवार के सदस्यों की नृशंस और कायरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। सौभाग्य से, या दुर्भाग्य से, केवल एक

पीडब्लू 5 के परिवार का व्यक्ति बच सकता है। वर्तमान मामले में आरोपी ने पूर्व नियोजित तरीके से छह निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है।

तरीके से। दोषी ने सावधानीपूर्वक समय की योजना बनाई। पहले उसने धोखे से तीन लोगों का अपहरण किया और उन्हें घर ले गया।
नहर और उन्हें सोने की गोलियों से नशीली दवा देने के बाद, धक्का दिया गया

उन्हें आधी रात को नहर में डाल दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध का पता न चले। कि, उसके बाद उसने तीन और लोगों को मार डाला

दूसरा चरण/किश्त। इसलिए, निर्धारित कानून पर विचार करते हुए

इस न्यायालय द्वारा मुकेश बनाम. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2017) 6 एस. सी. सी. 1: (2017) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 673], मामला इस श्रेणी में आएगा। "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले" में मृत्युदंड/मृत्युदंड का प्रावधान है। बिगड़ती परिस्थितियाँ अभियोजन पक्ष के पक्ष में और अभियुक्त के खिलाफ हैं।

रावी एस/ओ अशोक घूमरे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

इसलिए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, हमारी राय है कि बिगड़ती परिस्थिति संतुलन को इसके पक्ष में झुका देगी

मृत्युदंड। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि मौत की सजा के अलावा कोई वैकल्पिक सजा उपयुक्त नहीं है। अपराध के साथ किया जाता है

चरमपंथी क्रूरता और समाज की सामूहिक अंतरात्मा

हैरान हो जाएगा। इसलिए, हमारी राय है कि विद्वानों द्वारा लगाई गई मृत्युदंड/मृत्युदंड सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, हम विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित की मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और अपीलार्थी को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है।

आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए।

56. हाल ही में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में मनोहरन बनाम. पुलिस निरीक्षक, वैराइटी हॉल पुलिस द्वारा राज्य

स्टेशन, कोयंबटूर, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 951, अपीलार्थी की मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय ने एक मामले में की थी जिसमें उसे अपने सह-अभियुक्त के साथ एक 10 वर्षीय लड़की और उसके 7 वर्षीय भाई के अपहरण का दोषी ठहराया गया था। नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद, दोनों पीड़ितों को एक नहर में फेंक दिया गया, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई। इस न्यायालय ने (बहुमत से) निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हुए मौत की सजा को बरकरार रखाः

" 41. इन परिस्थितियों में, हमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के लिए परिस्थितियों को कम करने के साथ बढ़ती परिस्थितियों को सही ढंग से लागू किया है और संतुलित किया है कि किया गया अपराध निर्मम था और इसमें एक नाबालिग लड़की का बलात्कार और दो बच्चों की हत्या शामिल है। अपीलार्थी द्वारा कोई पश्चाताप नहीं दिखाया गया है और अपराध की प्रकृति को देखते हुए जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 84 में कहा गया है, यह संभावना नहीं है कि अपीलार्थी, यदि मुक्त कर दिया जाता है, तो वह फिर से ऐसा अपराध करने में सक्षम नहीं होगा। तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने एक इकबालिया बयान दिया, इस मामले के तथ्यों पर, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए पश्चाताप दिखाया। वह इस इकबालिया बयान पर कायम नहीं रहे, लेकिन बयान के केवल उन हिस्सों को गलत तरीके से वापस ले लिया, जिसमें उन्हें दोनों नाबालिगों के बलात्कार के लिए फंसाया गया था।

लड़की और उसकी और उसके छोटे भाई दोनों की हत्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नतीजतन, हम मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और खारिज करते हैं

अपील "। 57. इस स्तर पर हाल के संशोधनों को संदर्भित करना भी उतना ही उपयुक्त है।

संसद द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में किया गया, जैसा कि 6 अगस्त, 2019 को अधिसूचित किया गया था। असंशोधित अधिनियम में "आक्रामक भेदक यौन हमले" को परिभाषित किया गया है। धारा 5, जिसमें "जो कोई भी 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर गंभीर भेदक यौन हमला करता है" शामिल है। मूल रूप से,

एक गंभीर यौन हमले के लिए सजा 10 साल से कम की अवधि के लिए कठोर कारावास थी, लेकिन जो जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है।

58. 2012 के अधिनियम की धारा 6 में हाल ही में किया गया संशोधन

सजा को इस प्रकार प्रतिस्थापित कियाः

" संशोधन के बाद, धारा 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः

“ 6. (1) जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है

एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो बीस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जिसका विस्तार हो सकता है

आजीवन कारावास, जिसका अर्थ होगा कारावास

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत और उचित होगा। उचित और पीड़ित को चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए भुगतान किया गया

और ऐसे पीड़ित का पुनर्वास।

[जोर दिया गया]

59. एक उग्र भेदक यौन संबंध के लिए न्यूनतम सजा

इस प्रकार हमले को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है और

आजीवन कारावास को अब स्पष्ट रूप से व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर गंभीर भेदक यौन हमले के अपराध के लिए दंड के रूप में 'मौत की सजा' भी पेश की गई है।

60. विधायिका ने निहित रूप से खुद को इससे दूर कर लिया है

"कोई परिस्थिति नहीं" सिद्धांत में "नहीं-मौत की स्थिति" के प्रस्तावक और लोगों की इच्छा को फिर से कहा है कि क्रूर बलात्कार के मामलों में

पीड़ित की हत्या किए बिना 12 वर्ष से कम आयु के नाबालिग बच्चों को 'मृत्युदंड' भी दिया जा सकता है। वस्तुओं के कथन और रावी एस/ओ में अशोक गुमारे वी।

महाराष्ट्र राज्य [सूर्या कांत, जे.]

संशोधन के कारणों से, संसद ने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि "हाल के दिनों में बाल यौन शोषण के मामलों में अभियुक्तों की अमानवीय मानसिकता, जो युवा पीड़ित के प्रति अपने दृष्टिकोण में बर्बर रहे हैं, देश में बढ़ रही है।" यदि पर्याप्त तथ्यों और आंकड़ों से लैस संसद ने किसी बच्चे के यौन शोषण के अपराध के लिए मृत्युदंड देने का फैसला किया है, तो न्यायालय अब तक नवीनतम विधायी नीति को ध्यान में रखेगा, भले ही यह उस मामले में लागू न हो जहां अपराध पहले किया गया था। इसलिए, हाल के संशोधन के लागू होने से पहले दिए गए न्यायिक उदाहरणों को एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ देखा जाना चाहिए ताकि विधायी और न्यायिक दृष्टिकोण अच्छी तरह से सामंजस्यपूर्ण हों।

61. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारी यह सुविचारित राय है कि इस मामले में सजा का निर्णय इसे ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए

बचन सिंह और माची सिंह से उत्पन्न मापदंड

मामले और जिन्हें तब से मजबूत किया गया है, समझाया गया है, अलग किया गया है

या बाद के कई निर्णयों का पालन किया गया, जिनमें से कुछ ने

ऊपर उल्लेख किया गया है। यह कहने के बाद, यह देखा जा सकता है कि पीड़ित मुश्किल से दो साल का बच्चा था जिसे अपीलार्थी ने अपहरण कर लिया था और

जाहिरा तौर पर वह 4-5 घंटे से अधिक समय तक हमला करती रही जब तक कि उसने अपनी अंतिम सांस नहीं ली। अपीलार्थी, जिसका अपनी शारीरिक इच्छाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था, अपनी यौन भूख को तृप्त करने के लिए सभी प्राकृतिक, सामाजिक और कानूनी सीमाओं को पार कर गया। उन्होंने बेरहमी से एक ऐसा जीवन समाप्त कर दिया जो अभी तक खिलना बाकी था। इसके बजाय अपीलार्थी

समाज की बुराइयों के खिलाफ बच्चे को पिता जैसा प्यार, स्नेह और सुरक्षा दिखाने के बजाय उसे वासना का शिकार बना दिया। यह एक ऐसा मामला है जहां विश्वासघात किया गया है और सामाजिक मूल्यों को बाधित किया गया है। द.

दो साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध एक गंदे और विकृत दिमाग को प्रदर्शित करता है, जो क्रूरता की एक भयानक कहानी को प्रदर्शित करता है। अपीलार्थी

आरोप लगाने से उसकी दया या करुणा की कमी का पता चलता है और यह विश्वास होता है कि उसे कभी भी सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर, यह न्यायालय तब तक मृत्युदंड को रद्द नहीं कर सकता जब तक कि यह क़ानून में अंकित है। किताब।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62. ओ 'कॉनर जे. ने कैलिफोर्निया बनाम में जो बहुत उपयुक्त रूप से देखा है, उसका हमें पालन करने की आवश्यकता है। रामोस, 463 यू. एस. 992

" अन्य सभी दंडों से मृत्युदंड के गुणात्मक अंतर के लिए मृत्युदंड के निर्धारण की तदनुसार अधिक जांच की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृत्युदंड मनमाने ढंग से या मनमौजी तरीके से नहीं दिया जाता है, न्यायालय की प्रमुख चिंता उस प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए जिसके द्वारा मृत्युदंड को उसके सामने रखे गए मूल कारकों की तुलना में लगाया जाता है।

63. वनहीन कारणों से, हम अपीलों को खारिज करते हैं और मौत की सजा की पुष्टि करते हैं।

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. मैंने अपने विद्वान भाई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की राय देखी है। मैं भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 363,376,377 और 302 के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज दोषसिद्धि की पुष्टि करने की सीमा तक उक्त निर्णय में व्यक्त विचार से सहमत हूं। तथापि, जैसा कि मेरा विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना है, अर्थात्, मृत्युदंड, इस प्रकार, मैं इस निर्णय में अलग से अपने विचार साझा करना चाहता हूं।

2. अपीलार्थी पर नाबालिग लड़की "जोयाबानो" के साथ बलात्कार और हत्या करने का मुकदमा चलाया गया और उस पर अपराध का आरोप लगाया गया।

आई. पी. सी. की धारा 363,376,377 और 302 के तहत दंडनीय। मुकदमे के बाद, जालना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिनांकित निर्णय द्वारा

16.09.2015 , अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी अपने विरुद्ध बनाए गए आरोपों के लिए दोषी है।

3. दिनांक 18.09.2015 के आदेश द्वारा, निचली अदालत ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया

यह पाते हुए कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध जघन्य, क्रूर और अमानवीय है, दोषी ठहराया गया और अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई और आदेश दिया कि उसे तब तक फांसी पर लटका दिया जाएगा जब तक कि वह मर नहीं जाता, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 366 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन और Rs.500/- (केवल पाँच सौ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया। इसी तरह, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है और सजा भुगतने का आदेश दिया है आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना। 500 / - (केवल पाँच सौ रुपये) और अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास की सजा रवि एस/ओ अशोक गुमारे बनाम।

आई. पी. सी. की धारा 377 के तहत Rs.500/- (केवल पाँच सौ रुपये) के जुर्माने और धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आर. आई. की सजा के साथ Rs.500/- (केवल पाँच सौ रुपये) के जुर्माने के साथ दंडनीय है। इसके अलावा, यह आदेश दिया गया कि कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। 4. धारा 366 के तहत उच्च न्यायालय को दिए गए संदर्भ को 2015 के पुष्टिकरण मामले संख्या 1 के रूप में गिना गया था और अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को 2015 की आपराधिक अपील संख्या 783 के रूप में गिना गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2016 के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलार्थी द्वारा की गई आपराधिक अपील को खारिज करते हुए, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत लगाई गई मौत की सजा की पुष्टि की है। इसलिए, ये अपीलें।

5. मैं अपने विद्वान भाई द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं, इस हद तक कि दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए, रिकॉर्ड पर साक्ष्य की विस्तार से सराहना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह, मैं सीमित अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य पर उस हद तक विचार करना, जिस हद तक कि उसमें संशोधन किया जा सके।

अपीलार्थी पर सजा।

6. अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलिखित दोषसिद्धि के लिए

7. आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए निर्धारित सजा हत्या करने के लिए मौत या आजीवन कारावास है। सबसे पहले, जगमोहन सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 302 को चुनौती देने को खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य 1. इसके अलावा, संविधान पीठ में, बच्चन सिंह बनाम के मामले में यह न्यायालय। पंजाब राज्य 2 ने निष्कर्ष निकाला कि हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा प्रदान करने वाली धारा 303 संवैधानिक है। उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने मानकों और मानदंडों का संकेत दिया है, जिसके लिए क्षेत्र को सीमित किया गया है मृत्युदंड का अधिरोपण। इसके अलावा, मौत की सजा के अधिरोपण पर विचार करने के लिए, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों का भी व्यापक रूप से संकेत दिया गया था। उपरोक्त निर्णय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के साथ पठित धारा 235 (2) के दायरे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सजा की डिग्री तय करने में

1973 (1) एस. सी. सी. 20

2 1980 (2) एससीसी 684 [2019] 15 एस. सी. आर.

या विभिन्न अपराधों के लिए सजा का चुनाव करने में, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत एक अपराध भी शामिल है, न्यायालय को अपने विचार को सीमित नहीं करना चाहिए।

" मुख्य रूप से या केवल "से जुड़ी परिस्थितियों के लिए

विशेष अपराध, लेकिन अपराधी की परिस्थितियों पर भी विचार करना। हालांकि, यह देखा गया है कि, उत्तेजक और शमन करने वाले कारकों को कितना सापेक्ष महत्व दिया जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बढ़ाना और कम करनाDr.Chitale द्वारा सुझाए गए परिस्थितियों का उल्लेख किया गया था

निर्णय। फैसले के पैराग्राफ 202 से 207 निम्नानुसार हैंः

" 202. यू. एस. ए. में राज्यों के दंडात्मक कानूनों पर ड्राइंग।

फुरमान बनाम के बाद तैयार किया गया। जॉर्जिया [33 एल एड 2 डी 346 408 यूएस 238

(1972)] , सामान्य तौर पर, और खंड 2 (ए), (बी), (सी) और (डी)

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक 1978 में पारित किया गया

विशेष रूप से राज्यसभा में डॉ. चितले ने ये सुझाव दिए हैं - " बिगड़ती परिस्थितियाँ ":

66 बिगड़ती परिस्थितियाँः हालांकि, एक अदालत में

निम्नलिखित मामलों में मृत्युदंड अपने विवेकाधिकार पर लगाया जाता हैः

(क) यदि हत्या पूर्व में की गई है।

योजना बनाना और इसमें अत्यधिक क्रूरता शामिल है; या

((ख) यदि हत्या में असाधारण भ्रष्टता शामिल है; या

(ग) यदि हत्या संघ के किसी सशस्त्र बल के सदस्य या किसी पुलिस बल के सदस्य या किसी लोक सेवक की है और की गई है।

((i) जबकि ऐसा सदस्य या लोक सेवक कर्तव्य पर था;

या

((ii) किसी भी कार्य को करने या करने का प्रयास करने के परिणामस्वरूप

ऐसे सदस्य या लोक सेवक द्वारा ऐसे सदस्य या लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के वैध निर्वहन में किया गया, चाहे हत्या के समय वह ऐसा सदस्य या लोक सेवक था, जैसा भी मामला हो, या ऐसा सदस्य या लोक सेवक होने के लिए मृत था;

या

((घ) यदि हत्या किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने इस मामले में कार्रवाई की थी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 43 के तहत अपने कर्तव्य का वैध निर्वहन, या जिसने किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को सहायता प्रदान की थी जो VI S/O ASHOK GHUMARE v.

धारा 37 के तहत उसकी सहायता या उसकी सहायता की आवश्यकता और

उक्त संहिता की धारा 129 "।

" इस तरह की जघन्य हत्या के लिए दोषी व्यक्ति पर अत्यधिक दंड लगाने को उचित ठहराने के लिए विशेष कारणों से, इस बात से सहमत होना संभव नहीं है कि ऐसा करने वाले हत्यारों पर मृत्युदंड लगाया जाए। इस संकीर्ण श्रेणी में नहीं आना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। हमने ऊपर चर्चा की है और माना है कि

दंड संहिता की धारा 302 में आक्षेपित प्रावधान, उचित और सामान्य जनहित में होने के कारण, अनुच्छेद 19 या इसके "लोकाचार" का उल्लंघन नहीं करते हैं और न ही वे किसी भी तरह से अनुच्छेद 21 और 14 का उल्लंघन करते हैं। दंड संहिता की धारा 302 की वैधता को बनाए रखने के लिए हमारे द्वारा दिए गए सभी कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 (3) के मामले में भी पूरी तरह से लागू होते हैं। यही आलोचना विष्णु देव शॉ बनाम में लिए गए दृष्टिकोण पर भी लागू होती है। डब्ल्यू. बी. की स्थिति [(1979) 3 एस. सी. सी. 714: 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 817] जो राजेन्द्र प्रसाद [(1979) 3 एस. सी. सी. 646 के कथन का अनुसरण करता हैः 1979 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 749] 205. कई देशों में जिन्होंने मृत्युदंड को बरकरार रखा है, पूर्व

मौद्रिक लाभ के लिए नियोजित हत्या, या मौद्रिक पुरस्कार के लिए किराए पर लिए गए हत्यारे द्वारा भी, पहले का एक मृत्युदंड का अपराध माना जाता है। डिग्री, जो किसी भी सुधारकारी परिस्थितियों के अभाव में, मृत्यु से दंडनीय है। इस तरह के कठोर वर्गीकरण

विधायी नीति के क्षेत्र को खतरनाक रूप से ओवरलैप करें। इसके लिए 'हत्या' को फिर से परिभाषित करने या इसके आगे के वर्गीकरण की आवश्यकता हो सकती है। फिर, कुछ निर्णयों में, बन्दूक से हत्या, या [2019] 15 एस. सी. आर.

एक स्वचालित प्रक्षेप्य या बम, या समान हथियार, जिसका उपयोग एक साथ एक से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या चोट का उच्च जोखिम पैदा करता है, को भी एक गंभीर प्रकार के अपराध के रूप में माना गया है। उग्रता की कोई विस्तृत गणना नहीं

परिस्थितियाँ जो "विशेष कारणों" का आधार बन सकती हैं धारा 354 (3) में, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर पाई जाने वाली परिस्थिति को असामान्य या विशेष मामले में वृद्धि का प्रमाण होना चाहिए।

डिग्री।

206. डॉ. चिताले ने इन कम करने वाले कारकों का सुझाव दिया हैः

" परिस्थितियों को कम करना-अपने विवेक का प्रयोग करते हुए

उपरोक्त मामलों में, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखेगाः

(1) कि अपराध के प्रभाव में किया गया था

अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति।

(2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त जवान या बूढ़ा है,

उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।

(3) इस बात की संभावना कि अभियुक्त हिंसा के आपराधिक कृत्यों को नहीं करेगा जो एक निरंतरता का गठन करेगा

समाज के लिए खतरा।

(4) अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना। राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि -

अभियुक्त शर्तों (3) और (4) को पूरा नहीं करता है।

ऊपर।

(5) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि वह नैतिक रूप से उचित था

अपराध करना।

(6) कि अभियुक्त ने दबाव या प्रभुत्व के तहत काम किया

किसी अन्य व्यक्ति से।

(7) कि अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करने की उसकी क्षमता को बाधित कर दिया।

207. हम यह कहने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे कि ये निस्संदेह प्रासंगिक परिस्थितियाँ हैं और इन्हें रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम दिया जाना चाहिए।

वाक्य के निर्धारण में बहुत अधिक वजन। इनमें से कुछ कारक जैसे चरम युवा इसके बजाय हो सकते हैं बाध्यकारी महत्व। भारत के कई राज्यों में, वहाँ

विशेष अधिनियम लागू हैं, जिनके अनुसार

" बच्चा ", अर्थात" एक व्यक्ति जिसकी हत्या की तारीख को आयु 16 वर्ष से कम थी ", पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और हत्या के लिए मौत या आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, न ही एक वयस्क के समान आपराधिक प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। विशेष अधिनियम ऐसे किशोर अपराधियों के लिए एक सुधारात्मक प्रक्रिया प्रदान करते हैं या

बच्चे "।

8. इसके अलावा इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में,

माची सिंह और अन्य का मामला। वी. पंजाब राज्य 3, इस न्यायालय ने आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभतम से दुर्लभतम" मामले को निर्धारित करने के लिए परीक्षणों पर विचार किया है।

9. उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर दिया जा सकता है

बचन सिंह मामले 2 में इंगित किया गया है, जहां लागू करने का प्रश्न है मृत्युदंड मिलता है।

(क) क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा का आह्वान करता है?

(ख) अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसके बाद भी मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

शमन के लिए अधिकतम भार के अनुसार

कौन सी परिस्थितियाँ अपराधी के पक्ष में बोलती हैं?

10. इस निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दिशानिर्देश

बचन सिंह मामले 2 में इंगित, प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए, जहां मौत की सजा देने का सवाल उठता है। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 38 इस प्रकार हैः

" 38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह में बताए गए दिशानिर्देश

मामला 2 को निकालना होगा और प्रत्येक के तथ्यों पर लागू करना होगा। व्यक्तिगत मामला जहाँ मृत्युदंड देने का प्रश्न हो

उठती है। बचन सिंह से निम्नलिखित पूर्वसर्ग सामने आते हैं मामला 2:

((i) अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी परिस्थितियों के साथ ध्यान में रखा जाना चाहिए।

' अपराध '।

((ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब अपराध की प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त दंड प्रतीत होता है, और केवल दंड देने का विकल्प प्रदान किया गया है।

आजीवन कारावास का प्रयोग अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से नहीं किया जा सकता है।

((iv) उग्रता और शमन की एक तुलनपत्र

परिस्थितियों को तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा करना होगा

विकल्प का उपयोग करने से पहले उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच महत्व और न्यायपूर्ण संतुलन बनाना होगा।

11. इस फैसले में, तथ्यों पर, यह मानते हुए कि यह एक पारिवारिक कलह में प्रतिशोध के रूप में एक निर्मम, सुनियोजित और वीभत्स कई हत्याएं हैं माची सिंह और दो अन्य लोगों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा गया कि उसी रात अलग-अलग पड़ोसी गांवों में सोते हुए 17 असहाय, रक्षाहीन, निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी गई।

12. इस मामले में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी सीमित करने में गलती हुई है केवल अपराध की प्रकृति और क्रूरता, मौत की सजा देने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अकेले अपराध की प्रकृति मौत की सजा देने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि राज्य ठोस साक्ष्य का नेतृत्व करके यह साबित नहीं करता है कि दोषी सुधार और पुनर्वास से परे है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दोषी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ और जिन परिस्थितियों में अपराध किया जाता है, वे इस उद्देश्य के लिए समान रूप से प्रासंगिक हैं -

यह विचार करते हुए कि मृत्युदंड दिया जाना है या नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वही आधार भी है कि मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाए।

13. उनके तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले, मामले में अलू खान बनाम। राजस्थान राज्य, जहाँ अभियुक्त था4 साल की लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या के अपराध के लिए फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। पैराग्राफ

उक्त निर्णय का घ 33 निम्नानुसार हैः

" 32. हमारे सुविचारित विचार में, विवादित निर्णय और व्यवस्था में, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से ध्यान दिया है कि जीवन और मृत्यु दिव्य के कार्य हैं और दिव्य का अधिकार ईश्वर को सौंप दिया गया है।

मानव न्यायालयों का प्रयोग केवल अपवादात्मक मामलों में ही किया जाएगा अत्यंत सावधानी के साथ परिस्थितियाँ। इसके अलावा, यह कि न्यायालय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास जीवन को उसके स्वाभाविक अंत तक जारी रखना होना चाहिए और प्रत्यायोजित दिव्य अधिकार का प्रयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ही किया जाना चाहिए कि मृत्यु के अलावा कोई अन्य सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। हमने अपने सूक्ष्मतम विवरण में पूरे साक्ष्य की आलोचनात्मक रूप से सराहना की है और यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी-अभियुक्त को मौत की चरम सजा देने की आवश्यकता नहीं है और आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त होगी और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी। हमारा मानना है कि राज्य जिन चार मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, वे हैं-निवारण, रोकथाम, प्रतिशोध और सुधार -

अपीलार्थी-अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा।

" 7. ..... समाज की सुरक्षा और आपराधिक प्रवृत्ति को समाप्त करना कानून का उद्देश्य होना चाहिए जिसे उचित सजा देकर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, 'व्यवस्था' की इमारत की आधारशिला के रूप में कानून को चुनौतियों का सामना करना चाहिए। समाज। फ्रीडमैन ने अपने लॉ इन ए चेंजिंग सोसाइटी में कहा हैः आपराधिक कानून की स्थिति समाज की सामाजिक चेतना का एक निर्णायक प्रतिबिंब बनी हुई है- जैसा कि होना चाहिए। इसलिए, सजा प्रणाली के संचालन में, कानून को अपनाना चाहिए

तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक मशीनरी या प्रतिरोध। कुशल मॉड्यूलेशन द्वारा, सजा देने की प्रक्रिया जहाँ होनी चाहिए वहाँ कठोर हो, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ दया के साथ संयमित हो।

14. लेहना बनाम के मामले में। हरियाणा राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मृत्युदंड देने के लिए विशेष कारण ऐसे होने चाहिए कि न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सके कि अपराधी को सुधारना और दोषी ठहराना संभव नहीं है। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 14 इस प्रकार है -

:

" ..... मौत की सजा को आम तौर पर खारिज कर दिया जाता है और केवल "विशेष कारणों" के लिए लगाया जा सकता है, जैसा कि धारा 354 (3) में प्रदान किया गया है। संहिता में एक और प्रावधान है जो इसका भी उपयोग करता है

महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति "विशेष कारण"। यह धारा 361 है। अनुभाग

360 1973 की संहिता के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 562 (संक्षेप में "पुरानी संहिता") को पुनः अधिनियमित किया गया है। धारा 361 जो संहिता में एक नया प्रावधान है

अदालत के लिए धारा 360 के प्रावधानों को लागू नहीं करने के लिए "विशेष कारणों" को दर्ज करना अनिवार्य है। इस प्रकार धारा 361 अदालत को धारा 360 के प्रावधानों को लागू करने का कर्तव्य देती है।

जहाँ भी संभव हो ऐसा करना और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो "विशेष कारण" बताना। धारा 360 के संदर्भ में, धारा 361 द्वारा विचार किए गए "विशेष कारण" ऐसे होने चाहिए जो अदालत को यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूर करें कि अपराधी की उम्र, चरित्र और पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करने के बाद अपराधी को सुधारना और उसका पुनर्वास करना असंभव है।

धारा 361 और धारा 354 (3) दोनों ने एक ही समय में कानून की पुस्तक में प्रवेश किया है और वे अपराध विज्ञान में नए रुझानों की विधायिका द्वारा स्वीकृति की उभरती तस्वीर का हिस्सा हैं। इसलिए, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि अपराधी का व्यक्तित्व जैसा कि उसकी उम्र, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य परिस्थितियों और अपराधी की व्यवहार्यता से प्रकट होता है। सुधार अनिवार्य रूप से सबसे प्रमुख भूमिका निभाना चाहिए

दिए जाने वाले दंड का निर्धारण करना। विशेष कारण होने चाहिए।

इन कारकों से कुछ संबंध है।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने सुनील बनाम के मामले में इस न्यायालय के तीन पीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है। प्रदेश राज्य, जहाँ अभियुक्त की आयु लगभग 25 वर्ष थी

7) 4 एस. सी. सी. 393 आर. ए. वी. एस/ओ. अशोक गुमारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

प्रासंगिक समय, बलात्कार और 4 साल की हत्या के अपराध के लिए आरोपित किया गया था

बूढ़े बच्चे की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार की जाने वाली मजबूर करने वाली/कम करने वाली परिस्थितियों में से एक उसकी कम उम्र है जिस पर उसने अपराध किया था और इसके अलावा कि अभियुक्त का सुधार और पुनर्वास किया जा सकता है, ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हैं जिन्हें नीचे की अदालतों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय पर भी रिलायंस रखा गया है।

राजेंद्र प्रल्हादेराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य ', जहाँ अभियुक्त को 3 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था, मौत की सजा को आजीवन कारावास द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इस शर्त के साथ कि दोषी को उसके शेष सामान्य जीवन के लिए हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

17. जब हम विचार करते हैं तो अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए उपरोक्त तीन निर्णय अपीलार्थी के मामले का समर्थन करते हैं।

हाथ में इस मामले की उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए।

18. पीडब्लू-9 के बयान से यह स्पष्ट है कि वह एक फल विक्रेता है, जो नूतन वसाहत क्षेत्र, जालना में रहता है और अपीलार्थी भी है

एक ही गली में रहता है। इसके अलावा, उसके बयान से यह भी स्पष्ट है कि अपराध होने के दिन आरोपी शराब के नशे में था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि घटना के दिन, वह था

शराब के प्रभाव में और उसकी आयु लगभग 25 वर्ष है और उसका किसी भी अपराध का कोई पिछला इतिहास नहीं था और अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि उसे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सुधार और पुनर्वास नहीं किया जा सकता है, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था, वे पूरी तरह से मामले का समर्थन करते हैं।

अपीलार्थी, वाक्य को संशोधित करने के लिए।

19. माची सिंह और ओआरएस के मामले में। वी. पंजाब राज्य 3, इस अदालत ने पुष्टि की है कि माची सिंह को मौत की सजा और

दो अन्य, मुख्य रूप से एक निष्कर्ष को दर्ज करके कि यह एक निर्मम, सुनियोजित और वीभत्स हत्या थी, एक पारिवारिक झगड़े में प्रतिशोध के रूप में, जिसमें 17 असहाय, रक्षाहीन, निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गोली मार दी गई थी, इसे "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामला कहा जा सकता है। हाथ में मामले में, यह एक पूर्व नियोजित और नहीं कहा जा सकता है

पूर्व-ध्यान किया हुआ। इस निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए कि किया गया कोई विशेष अपराध पूर्व नियोजित और पूर्व-नियोजित है, घटना की तारीख से एक दिन पहले हत्या करने की योजना बनाने के लिए कुछ और आवश्यक है। हाथ में मामले में, जहां अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी शराब के प्रभाव में था और उसने अपराध किया था,

इसे पूर्व नियोजित नहीं कहा जा सकता है, इसे एक उग्रकारी परिस्थिति के रूप में गिनने के लिए, उग्रकारी और शमनकारी परिस्थितियों को संतुलित करने के लिए। 20. संदेश बनाम के मामले में। महाराष्ट्र राज्य ', इस न्यायालय ने एक बार फिर इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि यह अभियोजन पक्ष के लिए है

साक्ष्य का नेतृत्व करें, यह दिखाने के लिए कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि दोषी को सुधारा नहीं जा सकता है। इसी तरह, मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ', यह निर्णय के पैराग्राफ 23 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" ..... जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आजीवन कारावास को पूरी तरह से व्यर्थ कहा जा सकता है, केवल तभी जब सजा देने के सुधार के उद्देश्य को असंभव कहा जा सकता है। इसलिए, संतुष्ट करने के लिए

"दुर्लभतम से दुर्लभतम" सिद्धांत का दूसरा पहलू, अदालत को स्पष्ट सबूत देना होगा कि दोषी किसी भी मामले के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है।

एक प्रकार की सुधारात्मक और पुनर्वास योजना "।

21. सुशील शर्मा बनाम के मामले में। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 1, इस न्यायालय ने स्वीकार किया कि विभिन्न कारकों के बीच, मृत्युदंड देने या न देने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक सुधार और पुनर्वास की संभावना है। दोषी का। यह स्वीकृति फैसले के पैराग्राफ 103 में दी गई थी, जो इस प्रकार हैः

" 103. चीजों की प्रकृति में, कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकते हैं जिनका अदालत इस बात पर विचार करते हुए पालन कर सकती है कि कोई आरोपी है या नहीं। मृत्युदंड दिया जाना चाहिए या नहीं। एक अपराधी का मूल

मामला इसके तथ्य हैं और तथ्य मामले-दर-मामले अलग-अलग होते हैं।

इसलिए, विभिन्न कारकों जैसे कि अपराधी की उम्र, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी पृष्ठभूमि, चाहे वह एक पुष्ट अपराधी है या नहीं, क्या उसका कोई पूर्ववृत्त था, क्या उसके सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना है या क्या यह एक अपराध है। मामला जहां सुधार असंभव है और आरोपी के भविष्य में इस तरह के अपराधों में वापस आने और उसके लिए खतरा बनने की संभावना है

8 (2013) 2 एस. सी. सी. 479

9 (2013) 3 एससीसी-294

1 0 10 (2014) 4 एस. सी. सी. 317 रावी एस/ओ अशोक गुमारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

समाज ऐसे कारक हैं जिनकी आपराधिक अदालत को प्रत्येक मामले में स्वतंत्र रूप से जांच करनी होगी। मृत्युदंड देना है या नहीं, इसका निर्णय इस न्यायालय की कई आधिकारिक घोषणाओं में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में लिया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले के तथ्य और परिचर परिस्थितियाँ।

22. अमित बनाम के मामले में। महाराष्ट्र राज्य ", इस न्यायालय ने अभियुक्त के पूर्व इतिहास का उल्लेख किया और कहा कि पिछले किसी भी जघन्य अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि यदि उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया तो वह समाज के लिए खतरा होगा। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 10 इस प्रकार हैः

" 10. अगला सवाल वाक्य का है। यह देखते हुए कि अपीलार्थी एक युवक है, घटना के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी; वह एक छात्र था; पिछले किसी भी जघन्य अपराध का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अगर मृत्युदंड नहीं दिया गया तो वह समाज के लिए खतरा होगा। हालाँकि अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध गंभीर निंदा का पात्र है और एक सबसे जघन्य अपराध है, लेकिन मामले के संचयी तथ्यों और परिस्थितियों पर, हमें नहीं लगता कि मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। 23. सुरेंद्र पाल शिवबलकपाल बनाम के मामले में। की स्थिति

गुजरात 1 2, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा किसी भी पिछले आपराधिक मामले में संलिप्तता, मौत की सजा देने के उद्देश्य से, विचार में लिया जाने वाला एक कारक माना जाता था। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 13 इस प्रकार हैः

" 13. अगला सवाल जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या यह एक "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला" है; हमें नहीं लगता कि यह एक "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामला" है जिसमें दोषियों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी। अपीलकर्ता की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब

घटना और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल था और अपीलार्थी उत्तर प्रदेश का एक प्रवासी मजदूर था और निर्दोष परिस्थितियों में रह रहा था और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह भविष्य में समाज के लिए खतरा होगा और इस तरह का निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। हमें नहीं लगता कि इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान था। हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं।

11 (2003) 8 एससीसी 93 12 2005 (3) एससीसी 127 [2019] 15 एस. सी. आर.

सभी मामलों में, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उस पर लगाए गए मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

कारावास "।

24. इसके अलावा, यह मामला पूरी तरह से परिस्थिति पर आधारित है।

सबूत।

25. बिष्णु प्रसाद सिन्हा बनाम के मामले में। असम राज्य 1 3 13, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त का अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाता है, तो कुछ अन्य कारकों के साथ, जो दोषी के लिए लाभप्रद हैं, सामान्य रूप से मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद

55 उक्त निर्णय इस प्रकार हैः

" 55. सवाल यह है कि क्या सजा दी जानी चाहिए। आम तौर पर, यह न्यायालय, अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में विद्वान सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की राय से भिन्न नहीं होता, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अपीलार्थियों को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जाता है। इस प्रस्ताव के लिए अधिकारी हैं कि यदि साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित होता है, तो आम तौर पर, मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अपीलार्थी 1 ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान में भी अपना पश्चाताप और पश्चाताप दिखाया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

26. इसके अलावा, आलोक नाथ दत्ता बनाम के मामले में। पश्चिम बंगाल राज्य 1 4, यह सिद्धांत कि आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए

प्रदत्त, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मामले में, सवार के साथ व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि मृत्युदंड देने के लिए कुछ "विशेष कारण" होना चाहिए। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 174 इस प्रकार हैः

“ 174. इस न्यायालय के कुछ उदाहरण हैं जैसे सहदेव बनाम। यू. पी. का राज्य [(2004) 10 एस. सी. सी. 682] और एस. इशाक वी. बिहार राज्य [(1995) 3 एस. सी. सी. 392] जो प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण हैं।

कि यदि अपराध परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित होता है आम तौर पर मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि इसके बजाय हमें उक्त उदाहरणों का पालन करना चाहिए और इस प्रकार, मृत्युदंड देने के स्थान पर,

13 (2007) 11 एस. सी. सी. 467

14 (2007) 12 एस. सी. सी. 230 आर. ए. वी. एस/ओ. अशोक गुमारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

आलोक नाथ के खिलाफ आजीवन कारावास।

इसके अलावा हमें पुरस्कार देने का कोई विशेष कारण नहीं मिलता है।

मृत्युदंड जो अनिवार्य है "।

27. स्वामी श्रद्धानंद बनाम के मामले में। की स्थिति

कर्नाटक ", इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दोषसिद्धि के आधार पर निर्णायक प्रतीत होने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य को मूर्खतापूर्ण नहीं माना जाना चाहिए। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 87 इस प्रकार हैः

" 87. मृत्युदंड न्यायशास्त्र के क्षेत्र में कई अध्ययनों में यह एक मौलिक बिंदु रहा है कि जिन मामलों में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, वे कहीं अधिक हैं।

उन लोगों की तुलना में, जो सबूत के उपयुक्त स्रोतों पर आधारित हैं, बाद में गलत विश्वास साबित होने की संभावना है। निर्णायक प्रतीत होने वाली परिस्थिति के आधार पर दोषसिद्धि

साक्ष्य को मूर्खतापूर्ण घटनाओं के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह तथ्य कि वे परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हैं, सजा के चरण में विचार-विमर्श में एक निश्चित कारक होना चाहिए, यह देखते हुए कि मृत्युदंड अपने कुल में अद्वितीय है।

अपरिवर्तनीय। मुकदमे की कोई भी विशेषता, जैसे कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि, जो परीक्षण में योगदान देती है। अपराध गणना में अनिश्चितता, हत्या के लिए अधिकतम दंड का निर्णय लेते समय नकारात्मक ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ”

28. उल्लिखित उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, आम तौर पर

मृत्युदंड की सजा नहीं दी जानी चाहिए। किसी मामले में, अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित होता है, परिस्थितियों की श्रृंखला स्थापित करके, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में दोषसिद्धि होती है, परिस्थितियों को बढ़ाने और कम करने के पहलुओं को संतुलित करने पर विचार करके,

मृतक, पीडब्लू-9, ने स्वयं कहा है कि वह नूतन में फल विक्रेता है 15 (2007) 12 एससीसी 288 [2019] 15 एस. सी. आर.

वासाहाट क्षेत्र, जालना और आरोपी भी अपने आवास के पास उसी गली में रहते हैं। यह पीडब्लू-9 के साक्ष्य से भी स्पष्ट है, अपीलार्थी के घर के पूर्व और पश्चिम की ओर, एक व्यक्ति के पास भैंसें हैं। उपयुक्त समय पर रहते थे। अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य से, अपीलार्थी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करना आसान है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है।

30. इस न्यायालय के एक निर्णय में, सुनील दामोदर गायकवाड़ बनाम। महाराष्ट्र राज्य ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि न्यायालय को न केवल अपराध को देखना चाहिए, बल्कि अपराधी को भी देखना चाहिए और अपराधी की परिस्थितियों पर उचित विचार करना चाहिए, आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड लगाने में, सामाजिक-आर्थिक स्थिति को कम करने वाले कारकों में से एक माना जा सकता है, जो बचन सिंह 2 और माची सिंह 3 में इंगित किए गए हैं। उक्त निर्णय का पैरा 20 इस प्रकार हैः

" 20. जब बाध्यकारी निर्णय होते हैं, तो न्यायिक समिति उम्मीद करती है

और उसी का पालन करने की आवश्यकता है। न्यायिक एकता न्यायिक अनुशासन और न्यायिक अनुशासन का एक अभिन्न अंग है जो न्यायिक अखंडता की आधारशिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि नए आयाम बड़े पीठ के फैसलों के अनुपात के साथ टकराव में नहीं हैं या जहां कुछ जोड़ा जाना है और

समझाया गया है, उसी को पेश करने की हमेशा अनुमति है। इस प्रकार गरीबी, सामाजिक-आर्थिक, मानसिक मजबूरियाँ, जीवन में अवांछित प्रतिकूलताएँ कुछ कम करने वाले कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, इसके अलावा बचन सिंह [बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1980) 2 एससीसी 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 580] और माची सिंह [माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1983) 3 एससीसी 470: 1983 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 681] मामले। इस प्रकार, हम उत्तेजक और कम करने वाले कारकों के आलोक में तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य हैं

बाध्यकारी निर्णयों में संकेत दिया गया है जिन्होंने प्रभावित किया है अपराध करना, अपराधी और उसकी परिस्थितियाँ,

सजा पर विचार करते हुए।

31. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों और इस मामले में अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो सामाजिक-आर्थिक स्थिति को स्थापित करता है

अपीलार्थी को, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के रूप में, उत्तेजक और शमनकारी कारकों को संतुलित करते हुए, शमन करने वाले कारकों में से एक माना जा सकता है। 32. मैं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में) में हाल ही में किए गए संशोधनों से अवगत हूं।

16 (2014) 1 एस. सी. सी. 129 आर. ए. वी. एस/ओ. अशोक गुमारे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

' पॉक्सो अधिनियम '), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से। उक्त संशोधनों के आधार पर, बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न अपराधों के लिए और अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के लिए न्यूनतम सजा बढ़ाई गई है।

बच्चों के खिलाफ। साथ ही, पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों के लिए मौत की सजा देने के लिए भी, 2012 , अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे परेशान करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करें। इस तरह के पहलुओं को संतुलित करने के लिए बचन में दिए गए दिशानिर्देश

सिंह बनाम। पंजाब राज्य 2 और माची सिंह और अन्य के मामले में दोहराया गया। वी. पंजाब राज्य 3 और सुशील मुर्मू बनाम के मामले में। झारखंड राज्य ", लागू होता रहेगा। इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बार-बार कहा गया है कि इन तथ्यों के संदर्भ में उत्तेजक और शमनकारी कारकों पर विचार किया जाना चाहिएः

प्रत्येक मामले में और ऐसे पहलुओं को संतुलित करने के लिए कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं हो सकता है।

34. मेरे मन में स्पष्ट है कि इस मामले में, अपीलार्थी की कम करने वाली परिस्थितियाँ, उग्रता पर हावी हैं। परिस्थितियों में, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करना। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, अपीलकर्ता अपराध करने के समय शराब के प्रभाव में था, और अभियोजन पक्ष की ओर से रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, यह दिखाने के लिए कि कोई सबूत नहीं है

अपीलार्थी के सुधार और पुनर्वास की संभावना। इसके अलावा, अपीलार्थी की आयु प्रासंगिक समय पर 25 वर्ष थी और दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी पर लगाए गए मृत्युदंड को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास में संशोधित किया जाना है।

17 (2004) 2 एससीसी 338 [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

35. इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों की लंबी कतार अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत की जाती है, तथ्यों और परिस्थितियों के समान सेट में, इस न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया है।

बिना किसी छूट के। इस न्यायालय के कुछ हालिया निर्णय इस प्रकार हैं:

36. नंद किशोर बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णयों में। मध्य प्रदेश राज्य दिनांक 18.01.2019 और

राजू जगदीश पासवान बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिनांकित

17.01.2019 , जिसके लिए मैं पक्षकार हूँ, इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने मृत्युदंड को बिना किसी दंड के आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया है। माफी।

37. इसके अलावा, इस न्यायालय के हाल के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, विजय रायकवार बनाम के मामले में। मध्य प्रदेश राज्य 20, जहाँ धारा के तहत अपराधों की सजा की पुष्टि करते हुए, लगभग साढ़े सात साल की उम्र की लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़ा अपराध था

376 (2) (च) और आई. पी. सी. की धारा 201 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 (आई), 5 (एम) और 5 (आर) के तहत भी, इस न्यायालय ने

मृत्युदंड से लेकर आजीवन कारावास तक।

38. उपरोक्त निर्णयों में, तथ्यों के एक समान समूह में, इस न्यायालय ने सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया है। इस मामले में भी

अपीलार्थी के लिए कोई पिछला अपराध रिकॉर्ड नहीं है। उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णय, अपीलार्थी के मामले का समर्थन करता है।

39. उपरोक्त कारणों से, इन अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, मृत्यु

अपीलार्थी पर अधिरोपित सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है अर्थात बिना किसी छूट/छूट के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास भुगतना होगा।

कम्यूटेशन।

देविका गुजराल

अपीलों

का निपटारा किया गया।

18 2019 की आपराधिक अपील संख्या 94 19 आपराधिक अपील संख्या 88-89/2019 20 (2019) 4 SCC 210